



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY  
भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 67]

No. 67]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 8, 2013/फाल्गुन 17, 1934  
NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 8, 2013/PHALGUNA 17, 1934

केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद्  
अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 मार्च, 2013

सं. 12-10/2000-के.हो.प. (पार्ट-III).—केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद्, होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 (1973 का 59वाँ) की धारा 33 के खण्ड (ज) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा होम्योपैथी (शिक्षा के न्यूनतम स्तर) विनियम, 1983 के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्वकृत कार्यों या पूर्व हटाये गये के अतिरिक्त, केन्द्रीय सरकार की पूर्वानुमति से, निम्न विनियम बनाती है अर्थात् :—

1. (1) इन विनियमों का नाम होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् (होम्योपैथी महाविद्यालय तथा संलग्न अस्पतालों के लिए न्यूनतम मानक स्तर) विनियम, 2013 होगा।

(2) ये भारत के अधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएँ : इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(अ) "अधिनियम" से तात्पर्य होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 (1973 का 59वाँ) अभिप्रेत है;

(आ) "संलग्न अस्पताल" से होम्योपैथी महाविद्यालय से संलग्न शिक्षण होम्योपैथिक अस्पताल अभिप्रेत है;

(इ) "महाविद्यालय" से, एक होम्योपैथी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, जो कि इसी अथवा किसी अन्य नाम से जाना जाता हो, जिसमें कि एक व्यक्ति स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम व प्रशिक्षण सहित एक पाठ्यक्रम में अध्ययनरत तथा प्रशिक्षणरत हो तथा जिससे कि उसे होम्योपैथी में मान्यताप्राप्त अर्हता प्रदत्त हो अभिप्रेत है;

(ई) "पाठ्यक्रमों" से अभिप्रेत है होम्योपैथी में अध्ययन के पाठ्यक्रम, अर्थात् :—

(i) बी. एच. एम. एस. (बेचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एण्ड सर्जरी);

(ii) विभिन्न विशेषज्ञताओं में एम.डी. (होम) [डॉक्टर ऑफ मेडिसिन (होम्योपैथी)];

(उ) "डिप्लोमा" से होम्योपैथी (डिप्लोमा पाठ्यक्रम) विनियम, 1983 के विनियम 2 के खण्ड (iii) में यथा परिभाषित होम्योपैथी में एक डिप्लोमा अभिप्रेत है;

(ऊ) "डिग्री" से होम्योपैथी (श्रेणीकृत डिग्री पाठ्यक्रम) विनियम, 1983 के विनियम 2 के खण्ड (iv) में अथवा होम्योपैथी (डिग्री पाठ्यक्रम) विनियम, 1983 के विनियम 2 के खण्ड (iv) में यथा परिभाषित एक डिग्री, अभिप्रेत है;

(ए) "होम्योपैथी में स्नातकोत्तर" से अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप मान्यताप्राप्त होम्योपैथी में स्नातकोत्तर अर्हता अभिप्रेत है,

- (ऐ) "अध्यापन अनुभव" से किसी होम्योपैथी महाविद्यालय में संबंधित विषय में अध्यापन अनुभव तथा संबंधित विषय में केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमति प्राप्त आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में अध्यापन अनुभव सहित अभिप्रेत है।
- (ओ) यहाँ प्रयुक्त शब्दों तथा अभिप्राय जो कि यहाँ उपयोग किए गए परन्तु परिभाषित नहीं हैं परन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं अधिनियम में वर्णित परिभाषाओं के क्रमशः अनुरूप होंगे।

### 3 न्यूनतम स्तर मानक की पूर्ति -

- (1) विनियम 4 से 13 में संदर्भित बुनियादी ढाँचे तथा शिक्षण तथा प्रशिक्षण सुविधाओं के न्यूनतम स्तरों की पूर्ति महाविद्यालयों तथा संलग्न अस्पतालों(1) द्वारा की जाएगी।
- (2) छात्रों को नैदानिक क्षेत्र एवं शल्य (आपरेटिव) क्रिया तथा, (आपरेटिव) स्त्री रोग अथवा प्रसूति विज्ञान के साथ-साथ गंभीर रोगों के प्रबंधन में छात्रों को प्रदर्शन हेतु, महाविद्यालय, सभी आवश्यक सुविधाओं औपरेशन थियेटर, प्रसूति कक्ष, गहन चिकित्सा एकक तथा गंभीर रोगियों के प्रबंधन हेतु सभी सुविधाओं से सुसज्जित नजदीकी अत्याधुनिक (मार्डन मेडिसिन) अस्पताल के साथ सहमति करार करेगा।
- (3) यदि महाविद्यालय के संलग्न अस्पताल में आपरेशन थियेटर तथा अन्य गंभीर रोगियों की देखभाल करने की सुविधायें नहीं हों, तो उक्त महाविद्यालय के छात्र संबंधित शिक्षण कर्मचारीवृन्दों की सख्त देखरेख में संलग्न आधुनिक अस्पताल में उपर्युक्त क्षेत्र में आवश्यक प्रदर्शन हेतु प्रतिनियुक्त किये जा सकते हैं।
- (4) अधिनियम की धारा 12 अ के अन्तर्गत स्थापित वर्तमान महाविद्यालय तथा संलग्न अस्पतालों तथा उन महाविद्यालय तथा उनके अस्पताल जो कि 28 जनवरी, 2003 से पूर्व स्थापित किए गए हों तथा केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त हों, आगामी शैक्षिक सत्रों में प्रवेश की अनुमति लेने हेतु इन विनियमों में संदर्भित शिक्षा एवं प्रशिक्षण की सुविधाओं हेतु बुनियादी ढाँचे के न्यूनतम स्तर मानकों की पूर्ति 31 दिसम्बर, 2014 तक करेंगे।
- (5) यदि एक महाविद्यालय इन विनियमों के अनुरूप आवश्यकताओं 31 दिसम्बर, 2014 तक मानकों को पूरा कर लेता है तो उसे पांच वर्षों से अधिक अवधि के लिए प्रवेश की अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी, जिस दौरान महाविद्यालय का निरीक्षण जब तक कि किसी शिकायत के प्राप्त होने पर निरुद्देश्य जाँच, अथवा जब तक कि केन्द्रीय सरकार अथवा केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् द्वारा आवश्यक समझा जाए, नहीं किया जाएगा।
- (6) केन्द्रीय परिषद् अपने विवेक से अनुमति समाप्त होने से तीन माह पूर्व महाविद्यालय का निरीक्षण करेगी।

(7) सशर्त अनुमति केवल उन्हीं महाविद्यालयों को जो कि कम से कम शिक्षकों संबंधी आवश्यकता अनुसूची - IV के अनुरूप विनियम 7 के उप-विनियम (2) में निर्दिष्ट कार्यरत अस्पताल मानक तथा अनुसूची- III में निर्दिष्ट उपकरणों की उपलब्धता होने पर प्रत्येक शैक्षिक सत्र 2013-14, 2014-15 के लिए केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् द्वारा शैक्षिक सत्र 2013-14 के लिए 15 मई, 2013 के पश्चात् तथा 2014-15 शैक्षिक सत्र के 31 दिसंबर, 2013 के बाद किये जाने वाले अलग निरीक्षणों के आधार पर दी जायेगी।

(8) इस प्रकार की सशर्त अनुमति प्रदान किये गये महाविद्यालयों अथवा उन महाविद्यालयों जिन्हें कि शैक्षिक सत्र 2013-14 तथा/अथवा 2014-15 हेतु अनुमति नहीं दी गयी है, को इन विनियमों में निर्दिष्ट मानकों को 31 दिसंबर, 2014 तक पूर्ण करना होगा।

(9) सभी वर्तमान महाविद्यालय, जो कि इन विनियमों में निर्दिष्ट मानकों का पूर्ण अनुपालन 31 दिसम्बर, 2014 तक नहीं कर पायेंगे, को शैक्षिक सत्र 2015-16 से आगे अनुमति नहीं मिलेगी तथा ऐसे सभी महाविद्यालयों के विरुद्ध अधिनियम की धारा 19 के अन्तर्गत कार्रवाई शुरु की जायेगी एवं धारा 12 अ के अन्तर्गत उनके आवेदनों को अस्वीकार किया जायेगा, जो सशर्त अनुमतियों या अस्वीकृतियों की वजह से विचारार्थ हों।

4 भूमि की आवश्यकता—एक महाविद्यालय, संलग्न अस्पताल तथा समुचित बुनियादी ढांचे सहित हेतु भूमि की आवश्यकता, नये आयुर्विज्ञान महाविद्यालय की स्थापना (नये अथवा उच्च पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण तथा आयुर्विज्ञान महाविद्यालय द्वारा प्रवेश क्षमता में वृद्धि) विनियम, 2011 में उल्लेखित के अनुरूप होगी।

परन्तु भूमि संबंधित आवश्यकता उन महाविद्यालयों पर लागू नहीं होगी जो कि इन विनियमों के अधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन से पूर्व स्थापित किये गये थे।

5 न्यूनतम निर्मित क्षेत्र की आवश्यकता

महाविद्यालय, संलग्न अस्पताल तथा अन्य अनुप्रयुक्त बुनियादी ढांचे का निर्मित क्षेत्र - अनुसूची - I के अनुरूप होगा।

परन्तु उक्त क्षेत्र की आवश्यकता उन महाविद्यालयों पर लागू नहीं होगी जिन्हें इन विनियमों के अधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन से पूर्व स्थापित किया गया था।

6 प्रवेश क्षमता :- पूर्व स्नातक पाठ्यक्रम हेतु वार्षिक प्रवेश क्षमता को साठ तथा सौ में वर्गीकृत किया जायेगा। यदि किसी महाविद्यालय की प्रवेश क्षमता साठ से कम अथवा इकसठ से सौ सीट है, तो उसे संबंधित अनुसूची में उल्लेखित आवश्यकताओं का अनुपालन करना होगा।

7 शिक्षण अस्पताल हेतु आवश्यकता

(1) शिक्षण अस्पताल को संबंधित राज्य अथवा संघ शासित प्रदेश अथवा स्थानीय निकायों की अस्पताल स्थापित करने तथा अस्पताल चलाने हेतु सांविधिक आवश्यकतायें पूर्ण करनी होंगी। इस प्रकार के अनुज्ञापत्र अथवा अनुमति प्रमाण पत्रों की अद्यतन प्रमाणित प्रतियां केन्द्रीय सरकार एवं केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् को प्रेषित करनी होंगी तथा संबंधित राज्य सरकार अथवा संघ शासित क्षेत्र, इस प्रकार आवेदन करने वाले महाविद्यालयों को अनापत्ति प्रमाण पत्र देने से पूर्व इस आशय की अनुज्ञा अथवा अनुमति की उपलब्धताओं को सत्यापित करेगा।

(2) बिस्तरों, बिस्तर अधिभोग तथा बहिरंग रोगी विभाग की उपस्थित की आवश्यकतायें: बी.एच.एम.एस. पाठ्यक्रम हेतु छात्र व बिस्तरों, बिस्तर अधिभोग तथा बहिरंग रोगी विभाग की संख्या का अनुपात निम्न तालिका के अनुरूप होगा :-

तालिका

प्रतिवर्ष प्रवेश क्षमता	अन्तः रोगी विभाग में न्यूनतम बिस्तरों की संख्या	गत एक कैलेंडर वर्ष (365 दिन) * में न्यूनतम प्रतिदिन बहिरंग रोगी विभाग मरीजों का औसत (1:2)	अंतः रोगी विभाग में गत एक कैलेंडर वर्ष (365 दिन) में न्यूनतम औसत
60 छात्र तक	20	120	30 प्रतिशत
61-100 छात्र	25	200	

परन्तु स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम हेतु महाविद्यालय को अतिरिक्त बिस्तरों की आवश्यकताओं को होम्योपैथी (स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम) एम.डी. (होम.) विनियम, 1989 (जैसा कि समय-समय पर संशोधित) के आधार पर पूरी करनी होगी।

(3) बहिरंग रोगी विभाग तथा अन्तः रोगी विभाग के रोगियों के अभिलेखों का रख-रखाव :- महाविद्यालय तथा अस्पताल बहिरंग रोगी विभाग तथा अन्तः रोगी विभाग के अभिलेखों के रख रखाव हेतु केन्द्रीय कम्प्यूटरीकृत पंजीकरण का रख रखाव करेगा तथा विभागीय आधार पर बहिरंग रोगी एवं अन्तः रोगी विभाग के रोगियों के रोग वृत्त तथा अन्तः रोगी विभाग के रोगियों एवं प्रयोगशाला के रेडियोलॉजी जांच रिपोर्ट, औषध वितरण पंजिका, खुराक पंजिका, अस्पताल कर्मचारियों का ड्यूटी रोस्टर जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र इत्यादि, का रख रखाव

करेगा ताकि कार्यरत होम्योपैथिक शिक्षण अस्पताल द्वारा उप विनियम (2) में निर्दिष्ट मानकों के पूरा करने के दावे की पुष्टि हो सके ।

(4) क्षेत्र की आवश्यकता :- अस्पताल का बहिरंग रोगी विभाग तथा अंतः रोगी विभाग के रोगियों को समाहित करने के अतिरिक्त स्वागत कक्ष, रोगी प्रतीक्षालय, दवा वितरण कक्ष, पट्टी कक्ष, नैदानिक प्रयोगशाला, रेडियोलॉजी अनुभाग, चिकित्सीय अभिलेख कक्ष, ऑपरेशन थियेटर, प्रसव कक्ष, भण्डारण कक्ष, स्त्री-पुरुषों हेतु अलग वार्ड, कार्यात्मक अस्पताल हेतु आवश्यक चिकित्सकों, नर्सों तथा अन्य कर्मचारियों हेतु ड्यूटी कक्ष तथा संलग्न अस्पताल हेतु निर्दिष्ट निर्मित क्षेत्रफल अनुसूची-1 (अ) के अनुरूप होंगे ।

परन्तु उक्त क्षेत्र की आवश्यकता उन महाविद्यालयों पर लागू नहीं होगी जिन्हें इन विनियमों के अधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन से पूर्व स्थापित किया गया था ।

- (5) बहिरंग रोगी विभाग :- अस्पताल का बहिरंग रोगी विभाग अनुसूची-1 (अ) के अनुरूप होगा ।
- (6) अन्तः रोगी विभाग :- अस्पताल में स्त्री-पुरुषों हेतु अलग-अलग वार्ड होंगे तथा बिस्तरों का विभाजन निम्न प्रकार से होगा -

सामान्य चिकित्सा	-	50% (तीव्र 10% चिरकालिक 40%)
शिशु रोग	-	10%
शल्य क्रिया	-	20%
प्रसूति/स्त्री रोग	-	20%

- (7) संबंधित अनुसूचियों में निर्दिष्ट मानवशक्ति व समुचित उपकरणों सहित एक नैदानिक प्रयोगशाला अस्पताल परिसर में मरीजों की सामान्य, विकृतविज्ञानी, जैव रासायनिक तथा रूधिर विज्ञानी जांचों हेतु होगी जिन्हें कि अस्पताल के बहिरंग तथा अंतः रोगी विभाग से संदर्भित रोगियों के लिए प्रयोग किया जायेगा ।
- (8) अस्पताल कर्मचारी वृन्द :- संलग्न अस्पताल हेतु न्यूनतम कर्मचारी वृन्द अनुसूची-II के अनुरूप होंगे । इन्हें बिस्तर क्षमता की वृद्धि के अनुपात में आवश्यकतानुसार बढ़ाया जाएगा ।

8 महाविद्यालय हेतु बुनियादी ढांचे की आवश्यकतायें :- महाविद्यालय के न्यूनतम निर्मित तल क्षेत्रफल तथा विभिन्न घटकों के लिए आवश्यक सुविधायें अनुसूची-1 (आ) के अनुरूप प्रवेश क्षमता के अनुपातिक होगी ।

परन्तु उक्त क्षेत्र आवश्यकता उन महाविद्यालयों पर लागू नहीं होगी जिन्हें इन विनियमों के अधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन से पूर्व स्थापित किया गया था ।

986 GI/13-2

9. महाविद्यालय हेतु आवश्यकतायें :-

(1) शिक्षण कर्मचारी वृन्द :- बी.एच.एम.एस. डिग्री पाठ्यक्रम (श्रेणीकृत डिग्री पाठ्यक्रम चलाने के लिए सहित) न्यूनतम शिक्षण कर्मचारी वृन्द अनुसूची-IV तथा स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम हेतु अतिरिक्त अनुसूची-V के अनुरूप होगी।

(2) आधुनिक चिकित्सा के शिक्षक अथवा परामर्शदाता: आधुनिक चिकित्सा के शिक्षक अथवा परामर्शदाता जैसे कि विकृत विज्ञानी, रेडियोलॉजिस्ट संवेदनाहरण विज्ञानी, स्त्री रोग विज्ञानी, चिकित्सक, शल्य चिकित्सक, नेत्रविज्ञानी शिशुरोग विज्ञानी, दंत रोग विज्ञानी इत्यादि को अनुबंध के आधार पर अंशकाल अथवा आवश्यकता के आधार पर नियुक्त किया जायेगा, और ये शिक्षक अथवा परामर्शदाता अनुसूची-IV में उल्लेखित शिक्षण कर्मचारीवृन्द के अतिरिक्त होंगे।

(3) शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की आयु :- शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की आयु केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानकोंनुसार जैसा कि विशिष्ट महाविद्यालय पर लागू हों, के अनुरूप होगी एवं सेवानिवृत्त शिक्षकों को पैंसठ वर्ष की आयु तक पूर्णकालिक शिक्षक के रूप में पुनः नियुक्त किया जा सकता है।

(4) तकनीकी तथा अन्य कर्मचारियों की आवश्यकता :- महाविद्यालय के विभिन्न इकाईयों तथा विभागों में तकनीकी तथा अन्य कर्मचारी अनुसूची-VI में दिए विवरणों के अनुसार होंगे।

10 विविध आवश्यकतायें :-

(1) महाविद्यालय परिषद् :- प्रत्येक आयुर्विज्ञान महाविद्यालय अथवा आयुर्विज्ञान संस्थान की एक महाविद्यालय परिषद् होगी जिसमें विभागों के प्रमुख सदस्य तथा प्रधानाचार्य अथवा निदेशक अध्यक्ष होगा।

(2) वर्ष में परिषद् की कम से कम चार बार बैठक होंगी जिसमें पाठ्यचर्या तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम, अनुशासन व्यवस्था तथा अन्य शैक्षिक मामलों की रूप रेखा बनाई जाएगी।

(3) परिषद् संस्थान में अंतर-विभागीय बैठकें भी जैसे कि वृहत राउन्ड, सांख्यिकीय बैठकें, नैदानिक बैठकें, सामयिक अनुसंधान समीक्षा सहित नियमित रूप में आयोजित की जायेगी।

(4) महाविद्यालय वेबसाइट :- हरेक एवं प्रत्येक महाविद्यालय या संस्थान अपनी वेबसाइट बनाएगा जिसमें निम्न विवरण होंगे जिन्हें प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में अद्यतन किया जाएगा, नामतः -

(क) निदेशक अथवा प्रधानाचार्य तथा चिकित्सा अधीक्षक के नाम, आयु, पंजीकरण संख्या, योग्यता, कार्यभार ग्रहण की तिथि, पूर्ण पता, दूरभाष अथवा मोबाईल नं० तथा उपभोक्ता डायल ट्रंक कोड, फैंक्स तथा ई-मेल आदि सहित ।

(ख) शिक्षण कर्मचारीवृन्दों का ब्यौरा उनके, फोटो, पंजीकरण संख्या, जन्म तिथि, योग्यता, अनुभव, विभाग इत्यादि के ब्यौरे ।

(ग) महाविद्यालय के गैर शिक्षण कर्मचारीवृन्द तथा अस्पताल कर्मचारीवृन्द उनके अनुभागों सहित ।

(घ) पूर्वस्नातक तथा स्नातकोत्तर के विभिन्न पाठ्यक्रमों में अनुमोदित प्रवेश क्षमता का वर्णन ।

(ङ०) प्रविष्ट छात्रों की सूची, योग्यताक्रम, वर्गानुसार (पूर्वस्नातक तथा स्नातकोत्तर) वर्तमान तथा पूर्व शैक्षिक सत्रों का ब्यौरा ।

(च) पिछले एक वर्ष के दौरान कोई अनुसंधान प्रकाशन ।

(छ) किसी अनुवर्ती आयुर्विज्ञान शिक्षण कार्यक्रम का वर्णन, सम्मेलन तथा/अथवा संस्थान द्वारा संचालित शैक्षिक गतिविधियों का ब्यौरा ।

(ज) छात्रों अथवा संकाय द्वारा प्राप्त कोई पुरस्कार या उपलब्धि का वर्णन ।

(झ) संबद्ध विश्वविद्यालय तथा इसके कुलपति तथा रजिस्ट्रार के ब्यौरे ।

(ञ) गत एक वर्ष के सभी परीक्षाओं के परिणाम ।

(त) सभी पाठ्यक्रमों की मान्यता की स्थिति का विस्तृत वर्णन ।

(थ) अस्पताल में (क्लिनिकल) नैदानिक सामग्री का ब्यौरा ।

(5) बायोमैट्रिक उपस्थिति:— यह वांछनीय होगा कि शिक्षण, गैर शिक्षण महाविद्यालय कर्मचारीवृन्दों तथा अस्पताल कर्मचारीवृन्दों की बायोमैट्रिक उपस्थिति हेतु कम्प्यूटरीकृत वेब केमरा युक्त बायोमैट्रिक उपस्थिति पद्धति से लगाई जाये ।

#### 11 नये महाविद्यालय के चरण बद्ध विशिष्ट आवश्यकतायें:—

(1) एक आयुर्विज्ञान महाविद्यालय अथवा संस्थान जो कि अधिनियम की धारा 12अ के प्रावधानों के अन्तर्गत बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एण्ड सर्जरी पाठ्यक्रम आरम्भ करने की अनुमति चाहता हो, अनुसूची-I(ब), अनुसूची-III अनुसूची-IV, अनुसूची-V तथा अनुसूची-VI में विनिर्दिष्ट बुनियादी ढांचा, शिक्षण कर्मचारी वृन्द, संबंधित विषयों हेतु प्रयोगशाला सुविधायें अनुमति देने हेतु निरीक्षण के समय होनी चाहिए ।

(2) एक आयुर्विज्ञान महाविद्यालय की स्थापना तथा छात्रों के प्रवेश की अनुमति प्रारंभिक एक वर्ष हेतु प्रदान की जा सकती है तथा उपविनियम (1) में उल्लेखित वर्ष वार मानकों की पूर्ति के सत्यापन के पश्चात् नवीकृत की जायेगी तथा यह महाविद्यालय का उत्तरदायित्व होगा कि वह अनुमति की तिथि समाप्त होने से छः माह पूर्व केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् को नवीकृत करने के आशय का आवेदन दे, यह प्रक्रिया आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के स्थापित किये जाने से प्रथम बैच के उत्तीर्ण होने तक जारी रहेगी ।

**12 संस्थान या महाविद्यालय, अस्पताल तथा शिक्षण विभागों के प्रमुख तथा शिक्षकों की योग्यताएँ :** महाविद्यालय तथा अस्पताल के निदेशक या प्रधानाचार्य, चिकित्सा अधीक्षक, प्रोफेसरों, रीडरों तथा लेक्चररों के पास इन विनियमों में निर्धारित अर्हता होगी तथा शिक्षण कर्मचारीवृन्दों तथा अस्पताल कर्मचारीवृन्दों की अर्हता अनुसूची-VII के अनुसार होगी।

परन्तु इन संशोधित विनियमों के प्रकाशन से पूर्व, महाविद्यालयों में नियुक्त नियमित शिक्षण कर्मचारीवृन्द का संबंधित विषयों में शैक्षिक अनुभव होम्योपैथी (शिक्षा के न्यूनतम स्तर) विनियम, 1983 पूर्ण करते थे, में विनिर्दिष्ट मानकों को पूरा करते थे, को इन विनियमों की अनुसूची-IV के तहत शिक्षण कर्मचारीवृन्दों की नियुक्ति हेतु गिना जायेगा।

परन्तु होम्योपैथी (शिक्षा के न्यूनतम स्तर) विनियम, 1983 के आधार पर नियुक्त शिक्षण कर्मचारीवृन्दों को इन विनियमों के अन्तर्गत आ रहे सभी संवर्गों पर लागू होंगे।

व्याख्या:- इन विनियमों के संदर्भों के लिए, एक विषय में शिक्षक का शैक्षिक अनुभव उस विषय मात्र के लिए ही गिना जायेगा।

परन्तु ये विनियम उन शिक्षण संकायों पर लागू नहीं होंगे जो कि इन विनियमों के लागू होने से पूर्व विहित पद पर नियुक्त किये गये हों।

**13 उपस्करों की सूची:** छात्रों को उचित शिक्षण एवं प्रशिक्षण सामाग्री मिले इसके लिए यह आश्वस्त किया जाए कि महाविद्यालय के पास विभिन्न विभागों, अस्पताल, प्रयोगशालाओं, विच्छेदन हाल, पुस्तकालय, भेषज तथा अन्य इकाईयों महाविद्यालय में अनुसूची-III के अनुसार होंगी।

**14 जानकारी और विवरणी मांगने की केन्द्रीय परिषद् की शक्ति :-** केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् को परीक्षा निकाय से सूचना एवं विवरणी मांगने का अधिकार होगा जैसा वह उचित समझे एवं महाविद्यालय उक्त सूचना एवं विवरणी तीन प्रतियों में विनिर्दिष्ट समय में केन्द्रीय परिषद् को उपलब्ध करवायेंगे।

परन्तु यदि परीक्षक मण्डल तथा /अथवा महाविद्यालय केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् को सूचना एवं विवरणी को निश्चित समयावधि में उपलब्ध करवाने में असफल होता है तो उक्त केन्द्रीय परिषद् संबंधित परीक्षक मण्डल अथवा महाविद्यालय के विरुद्ध यह मानते हुए कि संबंधित परीक्षक मण्डल या महाविद्यालय विनियमों का अनुपालन नहीं कर रहा है, अधिनियम की धारा 19 के अन्तर्गत कार्रवाई करने हेतु संस्तुति देगा।

**15 निरीक्षकों तथा आगतुकों से सहयोग:** प्रत्येक महाविद्यालय निरीक्षण के दौरान निरीक्षकों तथा आगतुकों को उनके द्वारा मांगी सभी सूचना, दस्तावेज एवं रिकार्ड उपलब्ध कराएंगे जो कि उन्हें उनके कर्तव्य तथा कार्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक हों।



**अनुसूची I**

( विनियम 5 के उप विनियम (1), विनियम 7 के उप विनियम (4) तथा (5), विनियम 8 तथा विनियम 11 के उप विनियम (1) देखें )

(अ) होम्योपैथी महाविद्यालय से संलग्न अस्पताल के निर्मित क्षेत्र का विभाजन

क्रम सं०	विवरण	निर्मित क्षेत्रफल (वर्ग मी० में)	
		60 छात्रों की प्रवेश क्षमता तक	61से 100 छात्रों की प्रवेश क्षमता तक
1	अस्पताल प्रशासन खंड		
	(अ) अधीक्षक कक्ष		
	(आ) वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के लिए कक्ष	50	50
	(इ) स्टाफ नर्स		
	(ई) स्वागत कक्ष तथा पंजीकरण		
2	बहिरंग रोगी विभाग (ब.रो.वि.)		
	(i) औषध		
	(ii) स्त्री एवं प्रसूती रोग		
	(iii) शिशु रोग, जनन तथा शिशु स्वास्थ्य		
	(i) मरहम पट्टी कक्ष	100	100
	(ii) डिस्पेंसरी		
	(iii) भंडार		
3	अन्तः रोगी विभाग (अ.रो.वि.)		
	(i) सामान्य औषध (पुरुष तथा स्त्री वार्ड अलग हों)		
	(ii) शिशु रोग		
	(iii) शल्य क्रिया ( पुरुष तथा स्त्री वार्ड अलग हों)	325	350
	(iv) स्त्री रोग / प्रसूती रोग		
	(v) स्नानघर तथा जन सुविधायें पुरुष तथा स्त्री हेतु अलग हों)		
	(vi) डॉक्टर ड्यूटी कक्ष		
	(vii) नर्सिंग केन्द्र / ड्यूटी कक्ष		
4	ऑपरेशन थियेटर इकाई		
	(अ) ऑपरेशन थियेटर		
	(आ) तैयारी कक्ष		
	(इ) शल्य क्रिया उपरांत रिकवरी कक्ष	100	100
	(ई) रोगाणु रहित लीनन हेतु जगह		
	(उ) प्रसव कक्ष		
	(ऊ) शल्य क्रिया विशेषज्ञ / प्रसूति विज्ञानी / सहायकों हेतु कक्ष		
	(ए) नर्सिंग कर्मचारी-वृन्द कक्ष		
5	पुनर्विस्थापन एकक फिजियोथैरेपी तथा योग सहित	30	40

6	केन्द्रीय नैदानिक प्रयोगशाला (अ) विकृत विज्ञान तथा सूक्ष्म जिवानु विज्ञान (आ) जैव रसायन	30	40
7	रेडियोलॉजी तथा सोनोग्राफी अनुभाग एक्स रे कक्ष, डार्क कक्ष, फिल्मे तथा रसायन रखने का प्रावधान	40	40
8	अस्पताल किचन	18	20
9	भंडार	22	25
	कुल	715	765

(आ) एक महाविद्यालय के बुनियादी ढांचे संबंधी अपेक्षाएँ

क्र० सं०	विवरण	निर्मित क्षेत्र (वर्ग मी० में)	
		60 विद्यार्थियों की क्षमता हेतु	61-100 विद्यार्थियों की क्षमता हेतु
1	प्रशासनिक विभाग: इसमें प्रधानाचार्य कक्ष, सत्कार कक्ष, आगन्तुक कक्ष, कमेटी कक्ष, प्रशासनिक और लेखा विभाग, रिकार्ड कक्ष तथा महिलाओं एवं पुरुषों के लिए अलग प्रसाधन कक्ष सहित होंगे।	120	150
2	प्रवक्ता हॉल प्रत्येक तल पर 5 प्रवक्ता हॉल होंगे जिनमें कि 60/100 छात्रों को समायोजित करने की क्षमता, उचित विद्युत प्रबन्ध, दृष्य-श्रव्य सामग्री, पंखे/कूलर तथा लड़के एवं लड़कियों के लिए अलग-अलग प्रसाधन कक्ष के साथ होगी।	300	500
3	संगोष्ठी/परीक्षा हाल	100	150
4	केन्द्रीय पुस्तकालय में 50-60 विद्यार्थियों के बैठने की क्षमता, अध्यापकों के लिए अध्ययन कक्ष, स्नातकोत्तर विद्यार्थियों के लिए अलग अध्ययन कक्ष तथा पुस्तकालयाध्यक्ष कक्ष होंगे। पुस्तकालय में कम से कम 2000 पुस्तकें निर्धारित विषयों पर होंगी। पुस्तकालय में समाचार पत्र, आवधिक पत्रिकाएं, जनरल (विशेषतया पठनीय विषयों पर) होंगे।	75	120
5	शिक्षण विभाग: बी.एच.एम.एस. पाठ्यक्रम के लिए 12 शिक्षण विभाग होंगे तथा स्नातकोत्तर स्तर के मनोविज्ञान तथा शिशु रोग संबंधी 2 विशेष विभाग होंगे। इन विभागों में प्रत्येक के		

	शिक्षण कर्मचारीवृन्दों के लिए न्यूनतम 40 वर्ग मीटर के विभागीय कक्ष के साथ संग्रहालय (शरीर रचना विज्ञान, शरीर क्रिया विज्ञान, होम्योपैथी फार्मसी, औषध का इतिहास, मेटेरिया मेडिका, औषध साम्यास, एफ.एम.टी., प्रसूति/स्त्री रोग, सामुदायिक औषधि के लिए अलग) प्रयोगशाला: हेतु स्थान दिया जाएगा (शरीर क्रिया विज्ञान जैव रसायन विज्ञान सहित, विकृति विज्ञान तथा भेषजी) तथा शरीर रचना विज्ञान हेतु विच्छेदन हॉल नीचे दी गई क्षेत्रफल आवश्यकताओं के अनुसार—		
	(क) शरीर रचना विज्ञान विभाग हेतु वाशबेसिन, शवों के संग्रह और उत्तक विज्ञान प्रदर्शनी के लिए सुविधा सहित संग्रहालय व एक पूर्णतया: हवादार विच्छेदन हॉल।	50	90
	(ख) शरीर क्रिया रचना विभाग और जैव रसायन हेतु अलग प्रयोगशालाएँ संग्रहालय और प्रदर्शनी कक्ष।	60	90
	(ग) • होम्योपैथी भेषज विज्ञान प्रयोगशाला संग्रहालय सह प्रदर्शनी कक्ष के साथ।	60	90
	(घ) विकृति विज्ञान प्रयोगशाला संग्रहालय सह प्रदर्शनी कक्ष के साथ।	60	90
	(ङ) न्याय संबंधी औषध तथा विष विज्ञान संग्रहालय सह प्रदर्शन कक्ष।	40	60
	(च) सामुदायिक औषध संग्रहालय सह प्रदर्शन कक्ष	40	60
	(छ) • औषध साम्यास संग्रहालय सह प्रदर्शन कक्ष	40	60
	(ज) स्त्री एवं प्रसूति रोग संग्रहालय एवं प्रदर्शन कक्ष	40	60
	(झ) शल्य क्रिया संग्रहालय सह प्रदर्शन कक्ष	40	60
	(ञ) • होम्योपैथिक मेटेरिया मेडिका संग्रहालय सह प्रदर्शन कक्ष	40	60
	(ट) • औषध का इतिहास सहित आर्गेनिन ऑफ मेडिसिन संग्रहालय सह प्रदर्शन कक्ष	40	60
	(ठ) • कम्प्यूटर लैब तथा प्रदर्शन कक्ष सहित रेपर्टरी	40	60
	(ड) • मनोविकार चिकित्सा		
	(ढ) • शिशु रोग		
	नोट: • इंगित विषय एम.डी. (होम.) पाठ्यक्रम के हैं अतः स्नातकोत्तर स्तर के महाविद्यालय कम से कम 60 वर्ग मी० जगह स्नातकोत्तर छात्रों के लिए चर्चा हेतु कक्ष, स्नातकोत्तर शिक्षण संकाय तथा विभागीय पुस्तकालय हेतु सुझाये उपर्युक्त स्थान के अतिरिक्त उपलब्ध करवायेंगे।		
6.	छात्र-छात्राओं हेतु समुचित बैठने तथा लॉकर सुविधाओं सहित सामान्य कक्ष	25	40

7.	महाविद्यालय परिसर में कैन्टीन सुविधा	40	75
	कुल	1210	1875

### अनुसूची - II

एक होम्योपैथी महाविद्यालय से संलग्न होम्योपैथी अस्पताल में कर्मचारीवृन्द की न्यूनतम क्षमता

क्र० सं०	पदनाम	20 शैय्या तक	25 शैय्या तक	50 शैय्या तक	51-100 शैय्या तक
1	चिकित्सीय अधीक्षक	1	1	1	1
2	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	1	1	1	1
3	चिकित्सा अधिकारी	2	2	2	4
4	निवासी चिकित्सा अधिकारी	1	1	2	2
5	सर्जन (सामान्य शल्य क्रिया)**	1	1	1	1
6	संवेदना-हरण विशेषज्ञ*	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार
7	प्रसूति/स्त्री रोग विशेषज्ञ**	1	1	1	1
8	विकिरण विज्ञानी*	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार
9	विकृत विज्ञानी/जैव रसायन विज्ञानी**	1	1	1	1
10	हाउस फिजिशियन(रेजीडेंट)***	2	2	5	8
11	औषधि वितरक	1	1	2	2
12	प्रयोगशाला तकनीशियन	1	1	1	2
13	एक्स-रे तकनीशियन/रेडियोग्राफर	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	1	1
14	ड्रैसर	1	1	1	1
15	एक्स-रे सहायक	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	1	1
16	नर्सिंग स्टाफ इन्चार्ज	1	1	1	1
17	नर्सिंग स्टाफ	2	3	7	9
18	वार्ड ब्वायज/आयाज	3	4	7	9
19	स्टोर कीपर	1	1	1	1
20	पंजीकरण लिपिक/दूरभाष ऑपरेटर	1	1	1	1
21	योग विशेषज्ञ	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	1	1
22	फिजियोथेरपिस्ट	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	1	1
23	आहार विशेषज्ञ (अंशकालिक)	1	1	1	1
24	प्रत्येक होम्योपैथिक अस्पताल उपयुक्त सचिवालयीय तथा लेखाकार कर्मचारीवृन्द को सुचारू रूप से अस्पताल चलाने के लिए लगायेगें।				

25	सहायक कर्मचारीवृन्द जैसे कि प्रयोगशाला सहायक, डार्क रूम सहायक आदि आवश्यकता के अनुरूप होंगे।
26	महाविद्यालय तथा अस्पताल अधिकारीगण या तो इसके अपने पर्याप्त कर्मचारियों द्वारा अथवा टेकेदार के द्वारा अस्पताल परिसर में सफाई, कपड़ों की धुलाई, अस्पताल में खाने की व्यवस्था, बागबानी तथा चौकीदारों की व्यवस्था करेंगे।
27	अस्पताल स्वागत कक्ष, वाह्य रोगी विभाग पंजीकरण, अन्तः रोगी विभाग पंजीकरण, चिकित्सीय ऑकड़ा कक्ष, लेखा प्रभाग आदि प्रमुखतया: कम्प्यूटरीकृत होंगे।

नोट:

- साधारण परिस्थितियों में प्रधानाचार्य संलग्न होम्योपैथिक महाविद्यालयी अस्पताल का चिकित्सा अधीक्षक हो सकता है। यद्यपि अपवाद के रूप में, यदि प्रधानाचार्य संलग्न होम्योपैथिक महाविद्यालयी अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक का प्रभार नहीं सम्भाल रहा है तो स्वतंत्र रूप से चिकित्सा अधीक्षक की नियुक्ति की जायेगी।
- शल्यक्रिया, प्रसूति एवं स्त्री रोग, विकृति विज्ञान तथा जैव रसायन विभागों में कार्यरत शिक्षकों को सर्जन, प्रसूति/ स्त्री रोग विशेषज्ञ, विकृति विज्ञान विशेषज्ञ और जैव विज्ञानी क्रमशः के पद पर नियुक्त किया जा सकता है।
- स्नातकोत्तर स्तर के महाविद्यालयों के लिए, एम.डी. (होम.) छात्र अपने महाविद्यालय से सम्बद्ध अस्पताल में हाउस फिजिशियन के रूप में कार्य करेंगे।

किसी भी समय पर वर्तमान महाविद्यालय में शिक्षक कर्मचारीवृन्द की संख्या पूर्ण होगी।

### अनुसूची-III

(विनियम 3 के उप-विनियम (7), विनियम 11 के उप-विनियम (1) तथा विनियम 13 देखें)  
महाविद्यालय नीचे विनिर्दिष्ट उपस्कर उपलब्ध कराएगा

1	विच्छेदन मेजें जिसका ऊपरी भाग संगमरमर अथवा स्टेनलस इस्पात का हो (6'x1'x2'x3')	4
2	पूर्ण विच्छेदन सेट	आवश्यकतानुसार
3	शरीर और अंग विच्छेदन के लिए आरी	1
4	शव रखने की संग्रह टंकी	आवश्यकतानुसार
5	शिक्षण सामग्री जैसा कि मॉडलस, चार्टस चित्र, स्लाईड सॉफ्ट अंग, ममीकृत शरीर, अस्थियों, नवीनतम चित्र इत्यादि	आवश्यकतानुसार
6	सूक्ष्मदर्शी (चिकित्सीय)	25
<b>2 शरीर क्रिया विज्ञान विभाग</b>		
वस्तु का नाम		मात्रा
मानव प्रयोग हेतु		
1	चिकित्सीय सूक्ष्मदर्शी	25
2	ई.एस.आर. मापन हेतु उपकरण/ई.एस.आर. के लिए स्टैण्ड पर वेस्ट ग्रेन पिपेट	25 (अतिरिक्त पीपेट सहित)

986 GI/13-4

3	लोहित कोशिका मापी नलिका (हिमेटोक्रिट ट्यूब)	30 (अतिरिक्त सहित)
4	ऑटो एनालाईजर अथवा सेमि ऑटो एनालाईजर	01
5	हिमोग्लोबिनोमीटर साहली	25 (अतिरिक्त सहित)
6	हिमोसाइटोमीटर	25 (अतिरिक्त सहित)
7	स्फीगमोमेनोमीटर	25
8	आला (स्टेथोस्कोप)	25
9	नैदानिक थर्मामीटर (डिजिटल)	25
10	नी हैमर	25
11	श्रवण परीक्षण के लिए ट्यूनिंग फॉर्क (32-1000 हर्टज)	1 सेट
12	स्टेथोग्राफस या न्यूमोग्राफस	5
13	इलेक्ट्रोकार्डियो ग्राफ (विद्युत हृदय लेखी) (ई.सी.जी. मशीन)	1
14	इलेक्ट्रॉनिक स्टाप वॉच 1/10 सेकेण्ड	04
15	दोहरे आसवन के पूर्णतः शीशे के उपस्कर	1
16	सेंट्रीफ्यूज मध्यम गति	02
17	क्लोरीमीटर (फोटो इलेक्ट्रीक)	02
18	पी० एच० मीटर इलेक्ट्रीक	02
19	(एड्रिजग्रीन) लेन्टर्न रंग बोध	01
20	इक्यूबेटर	01
21	शैक्षणिक सी.डी., डी.बी.डी., फिल्म, स्लाइड, मॉडल, दृश्य श्रवण सामग्री सहित	आवश्यकतानुसार
22	पेरीमीटर	03
23	स्पाइरोमीटर	1
24	टोनोमीटर	1
25	हैंडग्रीप डायनेमोमीटर	1
26	बॉईसाइकिल इग्रोमीटर	1
दृश्य श्रवण सामग्री की सहायता से पशु परीक्षण का प्रदर्शन		
<b>जीवरसायन</b>		
1	इलेक्ट्रॉनिक मोनोपेन बैलेंस	1
2	सेंट्रीफ्यूज	1
3	तुला, रासायनिक/साधारण	2
4	जलोष्मक (वाटरबाथ)	2
5	यूरीनोमीटर (मूत्र मापी)	25
6	जलमापी (हाइड्रोमीटर) (0.700 से 1.00)	2
7	एलब्यूमिनोमीटर्स	10
8	ग्लुकोमीटर	10
9	थर्मामीटर	10
10	क्लोरीमीटर	1
11	हॉट एयर ओवन 14"X14"X14" (इलेक्ट्रीक)	1

12	शीशे का दोहरा आसक उपकरण	10
13	सेंट्रीफ्यूज मध्यम गति, बिजली का	1
14	शीशे के बर्तन उदाहरणार्थ पीपेट, बीकर, ब्यूरेट, वायरगॉज एस्बेस्टास सहित, सेन्टर हाट प्लेट स्टोव, सिरिंजें, बर्नर, रबड़ नलिकायें स्टैण्ड, क्लेम्प, फ्लैश आदि।	आवश्यकतानुसार
15	पी.एच.मीटर	1
<b>विकृति विज्ञान तथा जीवाणु विज्ञान विभाग</b>		
1	हाट एयर ओवन (50°C) विशेष स्टैंडिंग के लिए	1
2	सेंट्रीफ्यूज मशीन विद्युत रोटोफिक्स	2
3	विद्युत जलोष्पक	4
4	शीशे के बर्तन अभिरंजन रासायनिक अभिकर्मक—ऊतक विकृति आदि के लिए	आवश्यकतानुसार
5	इन्क्यूबेटर	2
6	आर०बी०सी० और डबल्यू० बी० सी० पिपेटों सहित हीमोसाईटोमीटर (रक्तकोशिका मापी)	25
7	हीमोग्लोबिनोमीटर, सहिल प्रकार का	25
8	आटोक्लेव	2
9	आवात जीवी उपकरण (एनाकोबिक)	2
10	स्टाप वाच 1/2 सैन्कन्ड	2
11	पी एच मीटर	1
12	आयलइमरशन सहित सूक्ष्मदर्शी	25
13	उच्च शक्ति सेंट्रीफ्यूज सीरोलॉजिकल/हिमेटोलोजिकल कार्य हेतु	1
14	ई० एस० आर० वेस्टरग्रेन/विन्ट्रोब	2 सेट प्रत्येक
15	कालोनी काउंटर	1
16	माध्यम बनाने के लिए सामग्री	आवश्यकतानुसार
17	अभिरंजन (स्टेन) बनाने के लिए सामग्री	आवश्यकतानुसार
18	कॉपलिन जार	2
19	उपसाधन सहित कम्प्यूटर	1
20	रक्त शर्करा मापन तथा अन्य सिरोलॉजिकल परीक्षणों हेतु मशीन	1
विकृत विज्ञानी नमूने		25
<b>सामुदायिक औषध विभाग</b>		
1	बैरोमीटर (फोरटिन)	1
2	लैक्टोमीटर	1
3	हाइड्रोमीटर	1
4	हाइड्रोमीटर वेट एण्ड ड्राई बल्ब	1

5	फिल्टर पेस्टियम चेम्बरलेड पूरा सेट	1
6	संग्रहालय जिसमें मॉडल चार्ट, तथा चित्रों तथा फ़ैलने वाली बीमारियों से संबंधित अन्य सामग्री, आहार, प्रोफाइलेक्टिक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजनाएँ उपलब्ध हो	आवश्यकतानुसार
7	टीकाकरण, सामुदायिक स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, जैव सांख्यिकी, अनुसंधान प्रविधि, सामाजिक विज्ञान से संबंधित सूचना प्रदर्शन	आवश्यकतानुसार
8	स्लो सैण्ड फिल्टर मॉडल / फिल्टर बर्क फील्ड	1
9	धुँआ रहित चूल्हा मॉडल	1
10	रैपिड सैण्ड फिल्टर मॉडल	1
11	आईडियल वेल मॉडल	1
12	रेफ्रिजरेटर	1
छात्रों को स्वास्थ्य जाँच शिविरों, जल संशोधन संस्थान, दुग्ध पाश्चयुरीकृत प्लांट तथा कारखानों में (औद्योगिक बीमारियों से रूबरू कराने हेतु) ले जाने के बंदोबस्त किये जाएंगे।		
न्याय आयुर्विज्ञान और विष विज्ञान विभाग:— उपकरण / हथियार		
1	डायल वाली मानव तुला मशीन	1
2	ऊँचाई मापने के लिए उपकरण	1
3	वार्नियर कैलिपर	1
4	हथियार (खुट्टल तीव्र, नुकीले)	20
मॉडल		10
नमूने (जैविक, अकार्बोनिनक, विष तथा रसायन)		35
अधिनियमों और विनियमों की सूची		
1. होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1973		
2. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986		
3. कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923		
4. कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948		
5. गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम, 1971		
6. अनिष्टकर मादक द्रव्य अधिनियम		
7. मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987		
8. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872		
9. पागलपन अधिनियम		
10. ब्रोसटल स्कूल अधिनियम		
11. बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006		
12. जन स्वास्थ्य अधिनियम		
13. चोट अधिनियम		
14. ओषध और चमत्कारिक उपाय (आक्षेपणीय विज्ञापन) अधिनियम, 1954		
15. होम्योपैथिक चिकित्सा व्यवसायी (वृत्तिक आचरण, शिष्टाचार और नैतिकता संहिता) विनियम, 1982		



## होम्योपैथी भेषजी विभाग :

1	पिल टाईल	25
2	चीनी मिट्टी की तश्तरियां	25
3	चिमटी सहित मूषा	25
4	खरल और मूसली (लोह, शीशों, चीनी मिट्टी)	25
5	जलोष्पक (वाटर बाथ), धातु/ विद्युत	25
6	सूक्ष्मदर्शी (विद्यार्थी प्रकार का)	05
7	वेक्यूम सहित फिल्टरेशन के लिए शीशे का उपकरण	2
8	पतली परत के क्रोमोटोग्राफी उपकरण	1
9	पी एच मीटर	2
10	स्टाप वॉच	25
11	हाईड्रोमीटर	5
12	एल्कोहोमीटर	5
13	लैक्टोमीटर	5
14	विद्युत पोटेंट्साईजर (स्नात्कोत्तर स्तर पाठ्यक्रम हेतु)	2
15	विद्युत ट्रिचुरेटर (स्नात्कोत्तर स्तर पाठ्यक्रम हेतु)	2
16	वाटर स्टिल (डिस्टिल्ड वाटर प्लांट)	1
17	परकोलेटर	5
18	मैसरेटर	5
19	बोटैनिकल स्लाइड	आवश्यकतानुसार
20	कोलोरिमीटर (स्नात्कोत्तर स्तर पाठ्यक्रम हेतु)	01
21	स्पेक्ट्रो स्कोप (स्नात्कोत्तर स्तर पाठ्यक्रम हेतु)	01
22	डाइसेक्टिंग सूक्ष्मदर्शी	02
23	आस्वित उपकरण (शीशा)	एक सेट
24	पिक्नोमीटर (विशिष्ट गुरुत्वाकर्षक बोतल )	02
25	विद्युतीय तुला	01
26	हाट एयर ओवन	01
27	रासायनिक तुला	10
28	भौतिक तुला	01
29	मापी ग्लास, सभी साईज के	आवश्यकतानुसार
30	विविध-रसायन, औषधियों शीशे की शीशियों, शीशे की छडें, कुप्पी, फिल्टर पेपर इत्यादि	आवश्यकतानुसार
नोट : विभाग सभी होम्योपैथी औषध शास्त्र (भारतीय होम्योपैथी औषध शास्त्र सहित) उपलब्ध करवायेगा । इसमें सभी प्रकार के औषध अनुपान होने चाहिए ।		

486 GI/13-5

**ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन विभाग**

(अ) होम्योपैथी के क्षेत्र में दार्शनिकों और खोजकर्ताओं के चित्र जन्म/मृत्यु तिथि को दर्शाते हुए—

1	डा० सैम्युअल हनेमन
2	डा० जे० टी० केन्ट
3	डा० कॉन्स्टाइन हेरिंग
4	डा० स्टुअर्ट क्लोज
5	डा० हरबर्ट ए० रॉबर्ट्स
6	डा० जे० एच० एलन
7	डा० टी० एफ० एलन
8	डा० एच० सी० एलन
9	डा० रिचर्ड ह्यूजस
10	डा० सी० वी० बोयनिंगहासन
11	डा० एम० एल० टाइलर
12	डा० विलियम बोरिक
13	डा० सी० एम बोगर
14	डा० जे० एच० क्लार्क
15	डा० सी० डनहम
16	डा० ई० ए० फेरिंगटन
17	डा० ई० बी० नैष
18	डा० आर० ई० डजन
19	डा० महेन्द्र लाल सिरकार
20	बाबू राजेन्द्र लाल दत्ता

(ब) ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन तथा होम्योपैथिक दर्शन एवं मनोविज्ञान पर शिक्षण सामग्री

**होम्योपैथिक मेटीरिया मेडिका विभाग**

होम्योपैथिक मेटीरिया मेडिका में औषधियों को जानने हेतु, 25 चार्ट जो कि शिक्षाप्रद हों। एक वनस्पति परिवार से संबंधित अनेक औषधियाँ बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एण्ड सर्जरी के विभिन्न वर्षों में पढ़ाई जाती हैं। इसलिए एक ही परिवार से संबंधित औषधियों एवं इनके कार्यक्षेत्रों को दर्शाती को दो या तीन लाइनों में औषधि से संबंधित वृहत विचारों की जानकारी चार्टों में सहायक होगी। इसी प्रकार ओफिडिया गुप, स्पाइडर फेमिली, नोसोड्स एवं सारकोड्स और अन्य रचनात्मक चार्टों जैसा कि नीचे दर्शाया गया है संबंधित रूचिकर चार्ट अन्य शिक्षण सामग्री के अलावा मेटीरिया मेडिका विभाग में लगाए जा सकते हैं।

**विशिष्ट चित्रानुसार औषधियों को दर्शाना (10 चार्ट)****रेपेरटरी विभाग :-**

- 1 विभाग पी सी/एक्स टी मॉडल के 05 कम्प्यूटरों एवं उपसाधन तथा पॉच सॉफ्टवेयर पैकेजों के साथ विशेषतया केन्ट , बोनिंगहासन एवं बोरिक की अलग-अलग रेपेरटरीज से सुसज्जित होगा।

**विभागीय पुस्तकालय :-**

कक्षा में प्रदर्शन एवं संदर्भों के लिए पर्याप्त मात्रा में विभिन्न प्रकार की मात्रा में रेपेरटरीज रखनी होगी।

रेपेरटरी पर 15 चार्ट मुहैया कराए जाएँगे।

होम्योपैथिक अस्पताल के अन्तः रोगी विभाग कार्यशील चिकित्सीय, शल्य क्रिया, प्रसूति एवं महिला रोग वार्ड से भली भांति सुसज्जित होंगे।

क्रम संख्या	वस्तुओं के नाम	25 शैया के लिए	28-50 शैया के लिए	51-100 शैया के लिए
1	लोहे की शैया (साधारण , शल्य चिकित्सा के लिए, और शिशुओं के लिए)	25	50	10 0
2	स्ट्रेचर ट्राली सहित	1 प्रत्येक वार्ड में	1 प्रत्येक वार्ड में	1 प्रत्येक वार्ड में
3	स्टरलाइजर्स	02	02	02
4	रक्तचाप (बी.पी.) उपकरण	05	08	10
5	मूत्र संग्राहक , पुरुष एवं स्त्री	10	10	20
6	बैड पेन ई0 आई0	10	10	20
7	जिन्हा दाबक (डिस्पोजेबल)	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार
8	चूषण यंत्र	01	01	02
9	चूषण नालिका	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार	आवश्यकता अनुसार
10	आर्टरी फोरसेप्स , बड़ी एवं छोटी	08 प्रत्येक	12 प्रत्येक	18 प्रत्येक
11	बैक रेस्ट	02	04	06
12	ऑक्सीजन सिलेंडर स्टेण्ड सहित	1 प्रत्येक वार्ड में	1 प्रत्येक वार्ड में	1 प्रत्येक वार्ड में
13	ड्रेसिंग ड्रम (बड़े)	02	03	04
14	नैदानिक सेट (ई.एन.टी.)	1 प्रत्येक वार्ड में	1 प्रत्येक वार्ड में	1 प्रत्येक वार्ड में
15	पराबैंगनी लैम्प	1	1	1
16	कुर्सी ट्राली पहियों सहित	2	2	2

17	रेफ्रिजरेटर (शीतक यंत्र)	1	1	2
18	वजन मापी मशीन	2	4	6

**ऑपरेशन थियेटर :-**

रोजमर्रा के कार्यों हेतु एक अच्छी प्रकार से सुसज्जित एवं क्रियात्मक ऑपरेशन थियेटर होगा।

**नोट :-** अस्पताल प्रांगण में फिजियोथेरेपी एवं योग सुविधाओं सहित पुर्नवास इकाई एक अलग इकाई के रूप में मुहैया कराई जाएगी।

सभी अपेक्षित सुविधाओं से युक्त एक एम्बुलेंस अस्पतालीय सुविधाओं के एक भाग के रूप में मुहैया कराई जाएगी।

होम्योपैथिक शिक्षण अस्पताल बहिरंग एवं अन्तः रोगी विभागों के लिए अलग-अलग दवाखाना तथा समुचित औषधि भंडार की सुविधा से सुसज्जित होगा। बाह्य रोगी विभाग तथा अन्तः रोगी विभाग में औषधि भंडार व फस्ट-एड किट भी रखी जाएगी। ऐसे अस्पताल में एक्स-रे, ई0 सी0 जी0, स्क्रीनिंग तथा सोनोग्राफी इकाइयाँ एवं सुसज्जित नैदानिक प्रयोगशालाओं से युक्त होंगे।

**अनुसूची-IV**

( विनियम 3 के उपविनियम (7), विनियम 9 के उपविनियम (1) और (2), विनियम 11 के उपविनियम (1) और विनियम 12 के परन्तुक देखें )

**डिग्री पाठक्रम के लिए न्यूनतम शिक्षण-कर्मचारी वृन्द**

विभाग का नाम	60 प्रवेश क्षमता तक			61 से 100 प्रवेश क्षमता तक		
	प्राफेसर	एसोसिएट प्रोफेसर/रीडर	एसिस्टेन्ट प्रोफेसर/लेक्चरर	प्रोफेसर	एसोसिएट प्रोफेसर/रीडर	एसिस्टेन्ट प्रोफेसर/लेक्चरर
शरीर रचना विभाग	1	या 1	1	1	या 1	1
शरीर क्रिया विभाग जैव रसायन सहित	1	या 1	1	1	या 1	1
ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन	1	या 1	1	1	1	1
होम्योपैथिक फार्मसी	1	या 1	1	1	या 1	1
होम्योपैथिक मेटिरिया मेडिका	1	या 1	1	1	1	1
विकृति विज्ञान एवं सूक्ष्म जीव विज्ञान	1	या 1	1	1	या 1	1

न्याय आयुर्विज्ञान एवं विष विज्ञान	1	या	1	1	1	या	1	1
औषध साभ्यास	1	या	1	1	1		1	1
शल्य क्रिया	1	या	1	1	1	या	1	1
प्रसूति एवं स्त्री रोग विज्ञान	1	या	1	1	1	या	1	1
सामुदायिक आयुर्विज्ञान	1	या	1	1	1	या	1	1
रेपरटरी	1	या	1	1	1		1	1
<b>कुल</b>	<b>24</b>			<b>28</b>				

- सभी स्तरों पर केवल पूर्ण कालिक कर्मचारीवृन्द
- (1) 60 प्रवेश तक 24 पूर्णकालिक तथा 8 अतिथि शिक्षक कर्मचारीवृन्द होंगे।
  - (2) 61 से 100 प्रवेश तक 28 पूर्णकालिक तथा 12 अतिथि शिक्षक कर्मचारीवृन्द होंगे।
  - (3) अतिथि फैकल्टी :- प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर या रीडर पूर्ण कालिक आधार पर नियुक्त नहीं किए गए तो एक सप्ताह में तीन घंटे के लिए अतिथि फैकल्टी के रूप में लगाए जाएंगे।
  - (4) प्रधानाचार्य किसी भी विभाग में पूर्ण कालिक तौर पर कार्यरत प्रोफेसरों में से एक होगा। प्रधानाचार्य चिकित्सा अधीक्षक हो सकता है, यदि अस्पताल के लिए पृथक चिकित्सा अधीक्षक न हो।
  - (5) प्रवेश की सशर्त अनुमति प्राप्त करने के लिए प्रत्येक विभाग में एक शिक्षक की कम से कम उपलब्धता के साथ शिक्षकों की कुल आवश्यकता के 10 प्रतिशत से अधिक की कमी नहीं होगी।

#### अनुसूची - V

(विनियम 9 के उप-विनियम (1) और विनियम 11 के उप-विनियम (1) को देखें)

विभाग का नाम	प्रोफेसर अथवा एसोसिएट प्रोफेसर/रीडर	एसिस्टेंट प्रोफेसर/लेक्चरर
आर्गेनन आफ मेडिसिन होम्योपैथिक दर्शन के साथ	1	1
होम्योपैथिक मेटेरिया मेडिका व्यवहारिक पहलू सहित	1	1
रेपरटरी	1	1
होम्योपैथिक भेषज विज्ञान विभाग	1	1
चिकित्सा साभ्यास	1	1
शिशु रोग विज्ञान	1	1
मनो-चिकित्सा विज्ञान	1	1

स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए प्रवक्ता (लेक्चरर) की नियुक्ति के लिए आवश्यक शैक्षिक योग्यता वही होगी जैसा कि होम्योपैथी (स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम) विनियम, 1989 में वर्णित हैं ।

### अनुसूची - VI

(विनियम 9 का उप-विनियम (4) तथा विनियम 11 का उप-विनियम (1) देखें)  
प्रत्येक विभाग में निम्न आवश्यक सहायक कर्मचारी होंगे :-

शरीर रचना विज्ञान	-	प्रयोगशाला सहायक	-	1
शरीर क्रिया विज्ञान जैव रसायन सहित-		प्रयोगशाला तकनीशियन-		1
होम्योपैथी भेषजी	-	प्रयोगशाला सहायक	-	1
विकृति विज्ञान	-	प्रयोगशाला तकनीशियन	-	1
तथा जीवाणु विज्ञान		प्रयोगशाला सहायक	-	1
पुस्तकालय		पूर्णकालिक लाईब्रेरी विज्ञान में डिग्री / डिप्लोमा योग्यताधारी पुस्तकालयाध्यक्ष की नियुक्ति की जायेगी जिसे अधिमानतः कंप्यूटर तथा इंटरनेट पर कार्य करने की जानकारी हो पुस्तकालय सहायक	1	प्रत्येक 50 छात्रों पर

उपर्युक्त स्टाफ के अतिरिक्त महाविद्यालय समुचित सहायक स्टाफ की नियुक्ति प्रत्येक संकाय, प्रयोगशाला, पुस्तकालय तथा संग्रहालय हेतु करेगा । पहरा एवं निगरानी कार्य, यातायात तथा जनसुविधाओं का प्रबंध महाविद्यालय द्वारा बाह्य स्रोत अथवा नियुक्ति के आधार पर जैसा भी मामला हो, के आधार पर करेगा ।

### “अनुसूची-VII”

(विनियम 12 देखें )

(अ) होम्योपैथिक महाविद्यालय के अध्यापन कर्मचारीवृन्दों हेतु अर्हतायें

1 प्रधानाचार्य / निदेशक

(क) अनिवार्य अर्हताएँ:-

होम्योपैथी में स्नातकोत्तर अर्हता तथा एक डिग्री स्तर होम्योपैथिक महाविद्यालय में प्रोफेसर के शिक्षण काडर में कम से कम दो वर्ष से कार्यरत हो ।

अर्हता होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 के द्वितीय अनुसूची में सम्मिलित हो ।

(ख) अधिमानी अर्हताएँ :-

किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रशासन/स्वास्थ्य प्रशासन में डिग्री/डिप्लोमा ।

होम्योपैथी में स्नातकोत्तर कार्यक्रम के लिए सुपरवाइजर/गाइड का अनुभव तथा अनुसंधान में मौलिक प्रकाशन ।

2 प्रोफेसर:

विषयों में अर्थात् : आर्गेनन ऑफ मेडिसिन, होम्योपैथी मेटेरिया मेडिका, होम्योपैथी फार्मेसी, रेपरटरी।

(अ) आवश्यक अर्हताएँ :

स्नातकोत्तर अर्हता संबंधित विषय में एसोसिएट प्रोफेसर/ रीडर पद पर तीन वर्ष का डिग्री स्तर के होम्योपैथिक महाविद्यालय में शिक्षण अनुभव। अर्हता होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् आधिनियम, 1973 की द्वितीय अनुसूची में सम्मिलित हो।

(आ) अधिमानी अर्हताएँ :

- 1 होम्योपैथी में स्नातकोत्तर कार्यक्रम में सुपरवाइजर/ गाइड का अनुभव तथा अनुसंधान में मौलिक प्रकाशन।
- 2 होम्योपैथिक आयुर्विज्ञान महाविद्यालय/ अस्पताल में प्रशासनिक अनुभव।
- 3 संबंधित विश्वविद्यालय तथा/ अथवा राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अनुसंधान संस्थान में अनुसंधान अनुभव।

(3) प्रोफेसर :-

विषयों में, अर्थात् : शरीर रचना विज्ञान, शरीर क्रिया विज्ञान, विकृत विज्ञान, विधि शास्त्र तथा विष विज्ञान, शल्य क्रिया विज्ञान, स्त्री एवं प्रसूति रोग, औषध साभ्यास तथा सामुदायिक औषध।

(1) (अ) आवश्यक अर्हताएँ :

स्नातकोत्तर अर्हता सहित संबंधित विषय में एसोसिएट प्रोफेसर/ रीडर पद पर तीन वर्ष डिग्री स्तर के होम्योपैथिक महाविद्यालय में शिक्षण अनुभव।

अर्हता होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् आधिनियम, 1973 की द्वितीय अनुसूची में सम्मिलित हो।

(आ) अधिमानी अर्हता:-

- (क) होम्योपैथी में स्नातकोत्तर कार्यक्रम के लिए सुपरवाइजर/ गाइड पद का अनुभव तथा अनुसंधान में मौलिक प्रकाशन।
- (ख) होम्योपैथिक आयुर्विज्ञान महाविद्यालय / अस्पताल में प्रशासनिक अनुभव।

अथवा

(2) (अ) आवश्यक अर्हताएँ:

- (i) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त संबंधित विषय में स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान डिग्री।

(ii) स्नातकोत्तर अर्हता सहित डिग्री स्तर के होम्योपैथिक महाविद्यालय तथा /अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्य आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में संबंधित विषय में एसोसिएट प्रोफेसर/ रीडर पद पर तीन वर्ष का शिक्षण अनुभव ।

(आ) अधिमाननी अर्हताएँ:

(i) मौलिक अनुसंधान पत्रों का प्रकाशन ।

(ii) संबंधित विश्व-विद्यालय अथवा राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अनुसंधान संस्थान में अनुसंधान अनुभव ।

4 होम्योपैथी विषयों में एसोसिएट प्रोफेसर/ रीडर:-

विषयों में, अर्थात् : आर्गेनन ऑफ मेडिसिन, होम्योपैथिक मेटेरिया मेडिका, होम्योपैथिक फार्मसी, रेपरटरी ।

(अ) आवश्यक अर्हताएँ :-

होम्योपैथी में स्नातकोत्तर अर्हता के साथ डिग्री स्तर के होम्योपैथिक महाविद्यालय में संबंधित विषय में सहायक प्रोफेसर/लेक्चरर पद पर चार वर्षों का अध्यापन अनुभव । होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 की द्वितीय अनुसूची में अर्हता सम्मिलित होगी ।

(आ) अधिमाननी अर्हताएँ :-

(i) होम्योपैथी में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में सुपरवाइजर / सह-सुपरवाइजर अथवा मार्गदर्शक/सह मार्गदर्शक का अनुभव ।

(ii) संबंधित विश्वविद्यालय अथवा राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान में अनुसंधान अनुभव ।

5 सम्बद्ध आयुर्विज्ञानी विषयों में एसोसिएट प्रोफेसर/रीडर:-

विषयों में अर्थात् : शरीर रचना विज्ञान, शरीर क्रिया विज्ञान, विकृत विज्ञान, विधि शास्त्र तथा विष विज्ञान, शल्य क्रिया विज्ञान, स्त्री एवं प्रसूति रोग, औषध साम्यास तथा सामुदायिक औषध ।

(1) (अ) आवश्यक अर्हताएँ:

होम्योपैथी में स्नातकोत्तर अर्हता डिग्री स्तर के होम्योपैथिक महाविद्यालय में संबंधित विषय में एसिस्टेंट प्रोफेसर/लेक्चरर पद पर



चार वर्ष का अध्यापन अनुभव । होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 की द्वितीय अनुसूची में अर्हता सम्मिलित होगी।

(आ) अधिमानी अर्हताएँ :-

(अ) होम्योपैथी में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए सुपरवाइजर/सह-सुपरवाइजर अथवा मार्गदशक / सह-मार्गदशक का अनुभव ।

(आ) संबंधित विश्वविद्यालय अथवा राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान में अनुसंधान अनुभव ।

अथवा

(2) (अ) आवश्यक अर्हताएँ :-

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञानी डिग्री के साथ डिग्री स्तर के आयुर्विज्ञान संस्थान/होम्योपैथिक महाविद्यालय में संबंधित विषय में लेक्चरर पद पर चार वर्ष का अनुभव ।

(आ) अधिमानी अर्हताएँ:-

(i) मौलिक अनुसंधान पत्रों का प्रकाशन ।

(ii) संबंधित विश्व विद्यालय /राज्य सरकार /केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एक अनुसंधान संस्थान में अनुसंधान अनुभव ।

6 होम्योपैथिक विषयों में सहायक प्रोफेसर/ लेक्चरर:-

विषयों में, अर्थात् : आर्गनन ऑफ मेडिसिन, होम्योपैथिक मेटेरिया मेडिका, होम्योपैथिक फार्मैसी, रेपरटरी में

(अ) आवश्यक अर्हताएँ:-

होम्योपैथी में अधिमानतः संबंधित विषय में स्नातकोत्तर अर्हता । अर्हता होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 के द्वितीय अनुसूची में सम्मिलित हो। उन अभ्यर्थियों को प्रमुखता दी जायेगी जिन्हें केन्द्रीय परिषद् / केन्द्रीय सरकार से अनुमति प्राप्त एक होम्योपैथिक

986 GI/13-7

आयुर्विज्ञान महाविद्यालय से संलग्न होम्योपैथिक अस्पताल में आर० एम० ओ० तथा / अथवा हाउस फिजिशियन का कार्यानुभव हो ।

**आयु:** पद के लिए आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख को 40 वर्ष से अधिक नहीं । विशेष अर्हताधारी व्यक्ति होने की दशा में संबंधित विश्वविद्यालय की पूर्वानुमति से पांच वर्ष की आयु सीमा में शिथिलता दी जा सकती है ।

7 सहायक प्रोफेसर / लेक्चरर:-

विषयों में, अर्थात् : शरीर रचना विज्ञान, शरीर क्रिया विज्ञान, विकृत विज्ञान, विधि शास्त्र तथा विष विज्ञान, शल्य क्रिया विज्ञान, स्त्री एवं प्रसूति रोग, औषध साम्यास तथा सामुदायिक औषध ।

(अ) आवश्यक अर्हताएँ :-

होम्योपैथी में स्नातकोत्तर अर्हता । होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 की द्वितीय अनुसूची में सम्मिलित एक अर्हता होगी । उन अभ्यर्थियों को प्रमुखता दी जायेगी जिन्हें केन्द्रीय परिषद् / केन्द्रीय सरकार से अनुमती प्राप्त एक होम्योपैथिक आयुर्विज्ञान महाविद्यालय से संलग्न होम्योपैथिक अस्पताल में आर० एम० ओ० तथा / अथवा हाउस फिजिशियन का कार्यानुभव हो ।

अथवा

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् से मान्यता प्राप्त संबंधित विषय में स्नातकोत्तर डिग्री अर्हता । उन अभ्यर्थियों को प्रमुखता दी जायेगी जिन्हें आयुर्विज्ञान परिषद् / केन्द्रीय सरकार से अनुमती प्राप्त एक आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, से संलग्न अस्पताल में आर० एम० ओ० तथा / अथवा हाउस फिजिशियन का कार्यानुभव हो ।

**आयु:** पद के लिए आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख को 40 वर्ष से अधिक नहीं होगी । विशेष अर्हताधारी व्यक्ति होने की स्थिति में संबंधित विश्वविद्यालय की पूर्वानुमति से आयु में अधिकतम पांच वर्ष की शिथिलता दी जा सकती है ।

परन्तु इन विनियमों की अधिसूचना से पूर्व मान्यता प्राप्त होम्योपैथिक महाविद्यालय में विभिन्न काडरों में नियुक्त शिक्षकों को पदोन्नति जिस विनियम के आधार पर नियुक्त किया गया था उसी के प्रावधानों के आधार पर होगी ।

(ब) होम्योपैथी महाविद्यालयी अस्पताल कर्मचारी वृन्दों की अर्हता :-

(1) चिकित्सा अधीक्षक

आवश्यक अर्हताएँ :-

- (अ) होम्योपैथी में स्नातकोत्तर अर्हता जो होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 की द्वितीय अनुसूची में सम्मिलित हो ।
- (आ) कम से कम 16 वर्षों का व्यावसायिक अनुभव सहित दो वर्षों का होम्योपैथिक अस्पताल/ होम्योपैथिक महाविद्यालयी अस्पताल में वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी का अनुभव ।

अधिमानी अर्हता

सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से अस्पताल प्रशासन में अर्हता रखना ।

(नोट: प्रधानाचार्य होम्योपैथिक महाविद्यालयी अस्पताल का चिकित्सा अधीक्षक होगा । यद्यपि यदि विशेष परिस्थितियों में चिकित्सा अधीक्षक का प्रभार प्रधानाचार्य को नहीं दिया जाता है तो उक्त अर्हता पूर्ण करने वाले व्यक्ति की उक्त पद पर नियुक्ति की जा सकती है । )

(2) वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी:-

आवश्यक अर्हता :-

- (अ) होम्योपैथी में मान्यता प्राप्त डिग्री अर्हता, होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 की द्वितीय अनुसूची में सम्मिलित हो ।
- (आ) होम्योपैथिक महाविद्यालयी अस्पताल/ होम्योपैथिक अस्पताल में चिकित्सा अधिकारी पद पर 5 वर्षों का अनुभव ।

(3) निवासी चिकित्सा अधिकारी :-

आवश्यक अर्हता

होम्योपैथी में एक मान्यता प्राप्त डिग्री अर्हता, होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 की द्वितीय अनुसूची में सम्मिलित हो ।

**अधिमानी :-**

राज्य होम्योपैथी बोर्ड से नियमित पंजीकरण प्राप्त करने के पश्चात् मान्यता प्राप्त होम्योपैथिक अस्पताल में एक वर्ष का हाउस फिजिशियन का अनुभव ।

(नोट: वह पूरे दिन काम पर माना (मानी) जायेगा (जायेगी) और साथ ही बगैर किराया लिए निवासी स्थान अस्पताल परिसर में ही दिया जायेगा)

**(4) चिकित्सा अधिकारी :-****आवश्यक अर्हता**

होम्योपैथी में एक मान्यता प्राप्त डिग्री अर्हता होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 की द्वितीय अनुसूची में सम्मिलित हो ।

**अधिमानी :-**

एक मान्यता प्राप्त होम्योपैथिक अस्पताल में एक वर्ष का हाउस फिजिशियन का अनुभव हो ।

**(5) हाउस फिजिशियन (कार्यभार एक वर्ष)****आवश्यक अर्हता**

होम्योपैथी में एक मान्यता प्राप्त डिग्री अर्हता, होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 की द्वितीय अनुसूची में सम्मिलित हो एवं किसी राज्य होम्योपैथी बोर्ड से नियमित पंजीकरण हो ।

परन्तु मंजूरी प्राप्त स्नात्कोत्तर केन्द्र हेतु फिजिशियन (रेजिडेंट) की अलग से आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि स्नात्कोत्तर छात्र एम0डी0(होम) के प्रथम वर्ष में अनिवार्यतः उक्त हाउस जाब कर रहा होगा ।

आयु : पद के लिए प्रार्थनापत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि का 35 वर्ष से अधिक न हो ।

**(6) प्रयोगशाला तकनीशियन**

मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से एम0एल0टी0 डिप्लोमा प्राप्त हो ।

(7) पंजीकरण क्लर्क

- (अ) मान्यता प्राप्त माध्यमिक बोर्ड से मेट्रिक (दसवीं कक्षा की) हो ।  
 (आ) क्षेत्रीय भाषा एवं अंग्रेजी भाषा का ज्ञान ।

(8) नर्स**आवश्यक अर्हता**

मान्यता प्राप्त माध्यमिक बोर्ड से मेट्रिक (10वीं कक्षा) की हो तथा नामी अस्पताल में तीन वर्ष का कार्यानुभव ।

**अधिमानी अर्हता**

होम्योपैथिक दवाखाने अथवा अस्पताल में एक वर्ष का कार्यानुभव ।

(9) वार्ड ब्वाय / आया

मान्यता प्राप्त माध्यमिक बोर्ड से मेट्रिक (10वीं कक्षा) की हो ।

(10) औषध वितरक / फार्मसिस्ट

एक मान्यता प्राप्त माध्यमिक बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण की हो और साथ ही एक मान्यता प्राप्त होम्योपैथिक दवाखाने में होम्योपैथिक औषध का वितरण दो वर्ष तक करने का अनुभव हो ।

(11) ड्रेसर

मेट्रिक (10वीं कक्षा पास की हो और साथ ही एक वर्ष का औषध वितरक अथवा ड्रेसर का अनुभव हो)

(12) चौकीदार / चपरासी

आठवीं कक्षा पास हो ।

डा. ललित वर्मा, रजिस्ट्रार-सह-सचिव

[ विज्ञापन III/4/असाधारण/147/12 ]

(यदि "होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् (होम्योपैथी महाविद्यालयों तथा संलग्न अस्पतालों के लिए आवश्यक न्यूनतम मानक स्तर) विनियम, 2013" के हिन्दी तथा अंग्रेजी रूपान्तरों में किसी प्रकार की त्रुटि पायी जाती है तो अंग्रेजी रूपान्तर को अंतिम माना जायेगा ।)

9866I/13-8

## CENTRAL COUNCIL OF HOMOEOPATHY

### NOTIFICATION

New Delhi, the 8th March, 2013

**No. 12-10/2000-CCH (Pt. III).**—In exercise of the powers conferred by clauses (j) of section 33 of the Homoeopathy Central Council Act, 1973 (59 of 1973), and in supersession of the Homoeopathy (Minimum Standards of Education) Regulations, 1983, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Council of Homoeopathy, with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations, namely:—

- 1. Short title and commencement.**— (1) These regulations may be called the Homoeopathy Central Council (Minimum Standards Requirement of Homoeopathic Colleges and attached Hospitals) Regulations 2013.  
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
  
- 2. Definitions.**— In these regulations, unless the context otherwise requires:—
  - (a) “Act” means the Homoeopathy Central Council Act, 1973 (59 of 1973);
  - (b) “attached hospital” means a teaching Homoeopathic Hospital attached to the Homoeopathic College;
  - (c) “college” means a medical college of Homoeopathy, whether known as such or by any other name, in which a person under goes a course of study and training including any Post Graduate Course of Study and training, which will qualify him for the award of a recognised medical qualification in Homoeopathy;
  - (d) “Courses” means the courses of study in Homoeopathy, namely:
    - (i) B.H.M.S. (Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery)
    - (ii) M.D. (Hom.) [Doctor of Medicine (Homoeopathy)] in various specialties.
  - (e) “diploma” means a Diploma in Homoeopathy as defined in clause (iii) of regulation 2 of the Homoeopathy (Diploma Course) Regulations, 1983;
  - (f) “degree” means a Degree in Homoeopathy as defined in clause (iv) of regulation 2 of the Homoeopathy (Graded Degree Course) Regulations, 1983 or in clause (iv) of regulation 2 of the Homoeopathy (Degree Course) Regulations, 1983;
  - (g) “Post Graduation in Homoeopathy” means a Post Graduate qualification in Homoeopathy recognized as per the provisions of the Act;
  - (h) “Teaching Experience” means teaching experience in the subject concerned in a Homoeopathic College and includes teaching experience in the subject concerned in a Medical College permitted by the Central Government;
  - (i) the words and expression used herein and not defined, but defined in the Act shall have the respective meanings assigned to them in the Act.
  
- 3. Fulfillment of minimum standard requirements.**—
  - (1) The college and attached hospital(s) shall fulfill the minimum standards requirements of infrastructure and teaching and training facilities referred to in the regulations 4 to 13.
  - (2) For exposure of the students in the clinical field and to understand the depth of operative surgery and operative Gynecology or Obstetrics as well as management in critical illnesses, a college shall have a Memorandum of Understanding with a reputed nearby located super-specialty hospital (of modern medicine) with all required facilities of operation theatre, labor room, Intensive Care Unit and other required facilities for the management of critical patients.

- (3) In case an attached hospital of a college does not have the facilities to handle operation theatre and other critical patients, the students of such a college can be deputed under the strict supervision of concerned teaching faculty of the college for the required exposure in the said field to the attached super specialty hospital.
- (4) The existing colleges and their attached hospitals established under section 12A of the Act and those colleges and their hospitals established prior to the 28<sup>th</sup> January, 2003 and recognized by the Central Council of Homoeopathy shall fulfill the minimum standards requirements of infrastructure teaching and training facilities referred to in these regulations by the 31<sup>st</sup> December, 2014 for consideration of grant of permission for undertaking admissions in the coming academic years.
- (5) If a college fulfills the requirement by 31<sup>st</sup> December, 2014 as per these regulations, it shall be granted permission to undertake admissions for a period not exceeding five years during which the college shall not be inspected, except for random checks on receipt of any complaint, or otherwise as deemed necessary either by the Central Government or by the Central Council of Homoeopathy.
- (6) The Central Council shall visit the college *suo moto* three months before the expiry of permission.
- (7) The conditional permission shall be granted only to those colleges which are fulfilling at least the requirement of teachers as specified in Schedule-IV, the requirement of functional hospital as specified at sub-regulation (2) of regulation 7 and availability of equipment as specified in schedule-III for each academic year 2013-14 and 2014-15 on the basis of the separate inspections to be carried out by the Central Council of Homoeopathy after the 15<sup>th</sup> May, 2013 for the academic year 2013-14 and after the 31<sup>st</sup> December, 2013 for the academic year 2014-15.
- (8) Such conditional permitted colleges or those colleges which have been denied permissions during the academic year 2013-14 and/or 2014-15, will be required to fulfill the requirements as specified in these regulations by the 31<sup>st</sup> December, 2014.
- (9) All the existing colleges, which are not able to achieve full compliance of the requirement as specified in these regulations by the 31<sup>st</sup> December, 2014, shall be denied permission from academic year 2015-16 onwards and action as envisaged under section 19 of the Act shall be initiated against all such colleges apart from rejection of their applications under sections 12A, which have been under consideration by way of conditional permissions or denials.
- 4. Requirement of land-** The land required for establishment of a college including attached hospitals and adequate infrastructure shall be as prescribed in the Establishment of New Medical College (Opening of New or Higher Course of Study or Training and Increase of Admission Capacity by a Medical College) Regulations, 2011:

Provided that the said land requirement is not applicable for the colleges established prior to notification of these regulations in the Official Gazette.

**5. Requirement of minimum constructed area.-**

The college, attached hospital and other allied infrastructure shall have the constructed area as prescribed in **Schedule- I**.

Provided that the said space requirement shall not be applicable for the colleges established prior to notification of these regulations in the Official Gazette.

- 6. Admission capacity.-** The annual intake capacity in undergraduate course will be in the slabs of sixty and hundred. If any college has the intake capacity less than sixty or within sixty one to hundred seats, it has to comply the requirements for sixty or hundred seats respectively, as mentioned in the respective Schedule.

**7. Requirements of teaching hospital.-**

(1) The teaching hospital shall fulfill all the statutory requirements of the concerned State or Union territory or local authority to establish and run the hospital and shall submit the updated certified copies of such permission(s) or clearance(s) to the Central Government and the Central Council of Homoeopathy, and the concerned State Government or Union territory shall verify the availability of such permission(s) or clearance(s) before issuing the No Objection Certificate to such applicant college.

(2) Requirement of beds, bed occupancy and Out-Patient Department attendance: The ratio of students with number of beds, bed occupancy and Out-Patient Department attendance shall be as given in the Table below for B.H.M.S. course:

**Table**

Intake capacity per year	Minimum number of beds in In-Patient Department	Minimum per day average number of patients in Out-Patient Department during last one calendar year(365 days) (1:2)	Minimum per day average number of patients in In-Patient Department during last one calendar year(365 days)
Upto 60 students	20	120	30 percent.
61-100 students	25	200	

**Provided that for the Post Graduate courses, colleges have to fulfill the additional requirement of bed in view of the provisions of Homoeopathy (Post Graduate Degree Course) M.D. (Hom.) Regulations, 1989 (as amended from time to time).**

(3) Maintenance of Record of Out-Patient Department and In-Patient Department patients: The college and hospital shall maintain the computerised central registration system for maintaining the records of patients in Out-Patient Department and In-Patient Department, and shall also maintain the Department wise Out-Patient Department and In-Patient Department records, case papers of Out-Patient Department and In-Patient Department patients, laboratory and radiological investigation reports, medicines dispensing register, diet register for In-Patient Department patients, duty roster of hospital staff, birth and death certificates, etc. to



substantiate the claim of genuine functional Homoeopathic teaching hospital fulfilling the norms as specified in the sub-regulation (2).

(4) Space requirement: The hospital shall be suitably spacious to accommodate Out-Patient Department and In-Patient Department in addition to reception, patients' waiting area, dispensing room, dressing room, clinical laboratory, radiology section, medical record-room, operation theatre, labor room, store room, separate wards for male and female, duty rooms for doctors, nurses and other staff required for a functional hospital, and the specification of built-up area in the attached hospital shall be as per **Schedule-I(A)**.

Provided that the said space requirement is not applicable for the colleges established prior to notification of these regulations in the Official Gazette.

(5) Outdoor Patient Department: The hospital shall have Out-Patient Department section as per **Schedule-I(A)**.

(6) In-Patient Department: The indoor patient department of the hospital shall have separate male and female wards, and distribution of beds shall be as under-

General Medicine – 50% (Acute 10% and Chronic 40%)

Paediatrics – 10%

Surgery – 20%

Obstetrics/Gynaecology – 20%

(7) There shall be a clinical laboratory in the hospital complex with proper infrastructure and manpower as specified in the respective Schedules for carrying out routine, pathological, biochemical and hematological investigation on the patients referred from out door and indoor department of the hospital.

(8) Hospital staff: The minimum staff required for the attached hospital shall be as specified in **Schedule-II** and it shall be liable to be increased proportionately in accordance with the increase in required bed strength.

**8. Infrastructure requirements of college.**-The minimum requirement of constructed floor area and essential facilities for various components of a college will be in proportionate with admission capacity as per **Schedule-I(B)**.

Provided that the said space requirement is not applicable for the colleges established prior to notification of these regulations in the Official Gazette.

### **9. Requirements of College.-**

(1) Teaching Staff: There shall be minimum teaching faculty as per **Schedule-IV** for B.H.M.S. degree Course (including for conducting graded degree Course) and for Post Graduate degree course additional as per **Schedule-V**.

(2) Teachers or consultants of modern medicine: Teachers or Consultants of modern medicine like Pathologist, Radiologist, Anaesthetist, Gynaecologist, Physician, Surgeon, Ophthalmologist, Pediatrician, Dentist, etc. may be appointed on contract basis or part time or on call basis, and these teachers or consultants shall be in addition to the teaching faculty as prescribed in **Schedule-IV**.

986 GI/13-9

(3) Age of superannuation of teachers: The age of superannuation of teachers shall be as per the Central Government or State Government or University Grants Commission norms as applicable to that particular college, and the retired teachers fulfilling the eligibility norms of teachers can be re-employed upto the age of sixty five years as full time teacher.

(4) Requirement of technical and other staff: The technical and other staff in various units and departments of the college shall be as per the details given in **Schedule-VI**.

#### 10. Miscellaneous requirements.-

- (1) College Council: Every medical College or Medical Institution shall have a College Council comprising of the Head of Departments as members and Principal or Director as Chairperson.
- (2) The Council shall meet at least four times in a year to draw up the details of curriculum and training programme, enforcement of discipline and other academic matters.
- (3) The Council shall also organise inter-departmental meetings like grand rounds, statistical meetings and clinical meetings including periodical research review in the institution regularly.
- (4) College website: Each and every college or institute shall have its own website containing the following details, which are to be updated in the first week of every month, namely:-
  - (a) Details of Director or Principal and Medical Superintendent including their name, age, registration number, qualification, date of joining, complete address with telephone or mobile numbers and subscriber trunk dialing code, fax and E-mail, etc;
  - (b) Details of teaching staff along with their photograph, registration number, date of birth, qualification, experience, Department etc;
  - (c) Non-teaching staff of college and hospital staff along with their department;
  - (d) Details of the sanctioned intake capacity of various courses, undergraduate, as well as, Post Graduate;
  - (e) List of students admitted , merit-wise, category-wise (Under Graduate and Post Graduate) for the current and previous academic years;
  - (f) Any research publications during last one year;
  - (g) Details of any Continuous Medical Education programme, conferences and /or any academic acclivities conducted by the institution;
  - (h) Details of any awards and achievement received by the students or faculty;
  - (i) Details of the affiliated University and its Vice-Chancellor and Registrars;
  - (j) Result of all the examinations of last one year;
  - (k) Detailed status of recognition of all the courses;
  - (l) Details of clinical material in the hospital.
- (5) Biometric Attendance: It is desirable to have biometric attendance supported with web camera based computerised attendance system for teaching, non-teaching college staff and hospital staff.

#### 11. Phase wise specific requirement of new colleges.-

- (1) A medical college or institution seeking permission for starting Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery Course under the provisions of section 12A of the Act, shall have the requisite infrastructure, teaching

staff, laboratory facility for the concerned subjects as specified in the Schedule-IB, Schedule-III, Schedule-IV, Schedule-V, and Schedule-VI at the time of inspection for granting permission.

- (2) The permission to establish a medical college and admit students may be granted initially for a period of one year and may be renewed on yearly basis subject to verification of fulfillment of year-wise requirements as mentioned under sub-regulation (1), and it shall be the responsibility of the college to apply to the Central Council of Homoeopathy for purpose of renewal six months prior to the expiry of the initial permission, which process will continue till such time the establishment of the medical college is completed for passing-out of the first batch.

12. **Qualification of head of the institute or college, hospital and teaching departments and teachers.**- The Director or Principal, Medical Superintendent, Professors, Readers and Lecturers of college and hospital shall have the qualification and experience prescribed in these regulations, and the qualification of teaching staff and hospital staff shall be as laid down in **Schedule- VII:**

Provided that the teaching experience in the concerned subject of persons appointed as regular teaching staff in the colleges, prior to notification of these amended regulations, fulfilling the prescribed requirements of Homoeopathy (Minimum Standards of Education) Regulations, 1983 shall be counted for appointment of teaching staff as per **Schedule- IV** to these regulations:

Provided further that the teaching faculty appointed on the basis of the Homoeopathy (Minimum Standards of Education) Regulations, 1983 will be covered under these regulations for all cadres.

Explanation.- for the purposes of this regulation, teaching experience of a Teacher in a subject shall be the teaching experience counted for that subject only:

Provided also that these regulations shall not be applicable on teaching faculty appointed on prescribed post before this notification.

13. **List of equipment.**- To ensure proper provision of teaching and training material to the students, the college shall possess essentially required equipment in various departments, hospital, laboratories, dissection hall, library, pharmacy and other units of the college as per **Schedule-III.**

14. **Power of Central Council to call for information and returns.** - The Central Council of Homoeopathy shall have the power to call for such information and returns as it may deem fit from examining bodies, and colleges shall furnish the said information and returns in triplicate within the time specified by the Central Council:

Provided that if the examining bodies and/or colleges fail to provide the information and return to Central Council of Homoeopathy within the specified time limit, the said Central Council shall recommend for action against

the concerned examining body or college under section 19 of the Act assuming that the concerned examining body or college is not complying with the regulation.

15. **Co-operation with Inspectors and visitors.**— Every college shall provide all necessary information, documents and records to the Inspectors and visitors appointed by the Central Council of Homoeopathy to discharge their duties and functions demanded by them during the inspection.

### SCHEDULE-I

(See sub-regulation (1) of regulation 5, sub-regulations (4) and (5) of regulation 7, regulation 8 and sub-regulation (1) of regulation 11)

#### (A) BREAK OF BUILT UP AREA REQUIREMENT OF AN ATTACHED HOSPITAL TO HOMOEOPATHIC COLLEGE

S. No.	Particulars	Built up area (in sq.mt.)	
		Upto 60 students intake	From 61 to 100 students intake
1.	Hospital Administration Block	50	50
	(a) Superintendent Room		
	(b) Rooms for Senior Medical Officer		
	(c) Staff Nurse		
	(d) Reception & Registration		
2.	Out-Patient Department (OPD)	100	100
	(i) Medicine		
	(ii) Gynaecology and Obstetrics (iii) Paediatrics and Reproductive & Child Health		
	(i) Dressing Room (ii) Dispensary (iii) Store		
3.	In Patient Department (IPD)	325	350
	(i) General Medicine (Male and Female Ward Separately)		
	(ii) Paediatrics		
	(iii) Surgery (Male and Female Ward Separately)		
	(iv) Obstetrics/Gynaecology		
	(v) Toilets and Bathroom (Separate for Male and Female)		
	(vi) Doctors Duty Room (vii) Nursing Stations/Duty Room		

4.	<b>Operation Theatre Unit</b> (a) Operation Theatre (b) Preparation Room (c) Post Operative Recovery Room (d) Space for Sterilised Linen (e) Labor Room (f) Rooms for Surgeon/Obstetrician/Assistants (h) Nursing Staff Room	100	100
5.	<b>Rehabilitation Unit including Physio-therapy and Yoga</b>	30	40
6.	<b>Central Clinical Laboratory</b> (a) Pathology & Microbiology (b) Bio-chemistry	30	40
7.	<b>Radiology and Sonography Section</b> X-ray Room, Dark Room, Provisions for storing films and chemicals	40	40
8.	<b>Hospital Kitchen</b>	18	20
9.	<b>Stores</b>	22	25
	<b>Total</b>	<b>715</b>	<b>765</b>

**(B) INFRASTRUCTURE REQUIREMENTS OF A COLLEGE**

S.No.	Particulars	Built up area (in sq.mt.)	
		Upto 60 students Intake	From 61 to 100 students intake
1.	Administrative Section: This shall include Principal Room, Reception, Visitors Room, Committee Room, Administration and Account Section, Record Room, separate Toilet for male and female	120	150
2.	Lecture Halls – there shall be 5 Lecture Halls with capacity to accommodate 60 / 100 students with proper facilities for Electricity Audio-Visual Aids, Fans/Coolers with separate toilet for Boys and Girls on Each Floor	300	500
3.	Seminar/Examination Hall	100	150
4.	Central Library with sitting capacity of atleast 50 – 60 students with reading room for teachers, separate reading room for P.G. students, Librarian Room. Library shall have atleast 2000 Books on prescribed subjects. The Library shall have newspaper, periodical, journal ( specifically for the subjects to be taught)	75	120
5.	Teaching Department – There shall be 12 teaching department for B.H.M.S. Course and 02 exclusive departments for P.G. level course in Psychiatry and Pediatrics. These departments shall have departmental room for teaching staff of atleast 40		

986 GI/12-10

	sq.mtr. each along with museum (for anatomy, Physiology, Homoeopathic Pharmacy, History of Medicine, Materia Medica, Practice of Medicine, F.M.T., Gynaecology/Obstetrics, Community Medicine separately alongwith space for Laboratory (for Physiology including Bio-chemistry separate labs., Pathology, Pharmacy) and Dissection Hall for Anatomy Department with area wise requirement given under		
	(a) Anatomy with a well ventilated dissection hall with wash basin, storage for cadaver and museum with facility of histology demonstration	50	90
	(b) Physiology with separate laboratories for Physiology and Biochemistry, Museum and Demonstration room	60	90
	(c) *Homoeopathic Pharmacy Laboratory with Museum cum Demonstration Room	60	90
	(d) Pathology Laboratory with Museum cum Demonstration Room	60	90
	(e) Forensic Medicine & Toxicology Museum cum Demonstration Room	40	60
	(f) Community Medicine Museum cum Demonstration Room	40	60
	(g) *Practice of Medicine Museum cum Demonstration Room	40	60
	(h) Gynaecology & Obstetrics Museum cum Demonstration Room	40	60
	(i) Surgery Museum cum Demonstration Room	40	60
	(j) *Homoeopathic Materia Medica Museum cum Demonstration Room	40	60
	(k) *Organon of Medicine including History of Medicine Museum cum Demonstration Room	40	60
	(l) *Repertory with Computer Lab & Demonstration Room	40	60
	(m) *Psychiatry		
	(n) * Paediatrics		
	Note: * The subjects marked are for M.D. Hom. Courses as such P.G. Level Colleges shall provide atleast 60 sq.mtr. space for P.G. Students Discussion Rooms, P.G. Teaching Faculty and Departmental Library in addition to what has been suggested above.		
6.	Common Rooms for Boys and Girls with adequate sitting arrangement and locker	25	40
7.	Canteen Facility in the college premises	40	75
	<b>Total</b>	1210	1875

**SCHEDULE-II**

(See sub-regulation (8) of regulation 7)

**MINIMUM STRENGTH OF STAFF OF HOSPITAL ATTACHED TO A HOMOEOPATHIC COLLEGE**

Sl No	Name of the Post	For 20 beds	For 25 beds	For 50 beds	For 51 to 100 beds
1	Medical Superintendent	1	1	1	1
2	Senior Medical officer	1	1	1	1
3	Medical Officer	2	2	2	4
4	Resident Medical Officer	1	1	2	2
5	Surgeon (General Surgery)**	1	1	1	1
6	Anesthetist*	On Call	On Call	On Call	On Call
7	Obstetrician/Gynaecologist**	1	1	1	1
8	Radiologist*	On Call	On Call	On Call	On Call
9	Pathologist/ Biochemist**	1	1	1	1
10	House Physician (Resident)***	2	2	5	8
11	Dispenser	1	1	2	2
12	Laboratory Technician	1	1	1	2
13	X-ray Technician/Radiographer	On call	On call	1	1
14	Dresser	1	1	1	1
15	X-ray Attendant	On call	On call	1	1
16	Nursing Staff Incharge	1	1	1	1
17	Nursing Staff	2	3	7	9
18	Ward Boys/Ayas	3	4	7	9
19	Store Keeper	1	1	1	1
20	Registration Clerk/Telephone Operator	1	1	1	1
21	Yoga Expert	On Call	On Call	1	1
22	Physiotherapist	On Call	On call	1	1
23	Dietician (Part Time)	1	1	1	1
24	Every Homoeopathic Hospital shall engage adequate secretarial and Accounts staff for running the hospital smoothly.				
25	Auxiliary staff like Lab Attendant, Dark Room Attendant shall be as per requirement.				
26	The College and Hospital authorities shall make arrangements either by adequate staff of its own or through a contractor for looking after the jobs like cleanliness, laundry, hospital catering, gardening and watch and ward duties in the premises of the hospital.				
27	Hospital reception, Out-Patient Department registration, In-Patient Department registration, Medical record room, Accounts section shall be properly manned and preferably computerised.				

Note-

\* The Principal may be the Medical Superintendent of the attached Homoeopathic Collegiate Hospital under normal circumstances. However, as an exception, if Principal is not holding the charge of Medical Superintendent of the attached Homoeopathic Collegiate Hospital, then an independent Medical Superintendent shall be appointed.

\*\* Teachers in the Departments of Surgery, Obstetrics and Gynaecology, Pathology, Biochemistry can be deputed as surgeon, obstetrician/gynaecologist, pathologist and biochemist respectively amongst hospital staff.

\*\*\* For Post Graduate level colleges, M.D. Hom students shall work as House Physician in Hospital attached to their college.

^ At any point of time, the existing colleges shall have full strength of teaching staff.

**SCHEDULE – III**

(See sub-regulation (7) of regulation 3, sub-regulation (1) of regulation 11 and regulation 13)

The college shall provide the equipment specified below:-		
<b>1. Department of Anatomy</b>		
1	Dissection Tables with marble tops or stainless steel (6'x1'x2'x3')	4
2	Dissection set complete	As required
3	Saw for sectioning body and limbs	1
4	Storage tanks to hold cadavers	As required
5	Teaching materials like Models, charts, diagrams, slides soft part, Mummified bodies, bones, latest diagrams etc.	-do-
6	Microscope (Medical)	25
<b>2. Department of Physiology</b>		
Name of the Article		Quantity
<b>For human experiments:</b>		
1	Medical Microscope	25
2	Equipment for ESR estimation/ Westergren's pipette for ESR on stand	25(with spare pipettes)
3	Haematocrit tubes	30 (with spares)
4	Auto Analyzer or Semi Auto Analyzer	01
5	Haemoglobinometer Sahli	25(with spare)
6	Haemocytometer	25(with spare)
7	Sphygmomanometer	25
8	Stethoscope	25
9	Clinical thermometer (Digital)	25
10	Knee hammer	25
11	Tuning forks to test hearing (32-10000 hzs)	1 set
12	Stethographs or pneumographs	5
13	Electrocardiograph (ECG Machine)	1
14	Electronic Stop Watches 1/10 sec.	04
15	Glass Distillation (double) apparatus	01
16	Centrifuge (Medium speed)	02
17	Colorimeter (photo electric)	02
18	pH Meter electric	02
19	Colour perception lantern (Edridge Green)	01
20	Incubator	01
21	Educational CD, DVD, films, slides, models with Audio Visual Aids	As required
22	Perimeter	03
23	Spirometer	01
24	Tonometer	01
25	Handgrip dynamometer	01
26	Bicycle Ergometer	01
Animal Experiments demonstration shall be done with the help of Audio-visual Aids.		
<b>Biochemistry:</b>		
1	Electronic/Monopan Balance	1
2	Centrifuge	1
3	Balance, chemical/ordinary	2
4	Water baths	2
5	Urinometer	25
6	Hydrometer (0.700 to 1.00)	2
7	Albuminometers	10
8	Glucometer	10
9	Thermometer	10
10	Colorimeter	1
11	Hot air oven 14"x14"x14" (Electric)	1
12	Double Distillation apparatus Glass	10
13	Centrifuge, medium speed, electric	1
14	Glass warelike pipette, beakers, burettes, wire gouge with asbestos, centre hot plate, stove, syringes, burners, rubber tubing stands clamps, flash etc.	As required
15	pH meter	1



**Department of Pathology and Microbiology:**

1	Hot air oven (50°C) for special standing	1
2	Centrifuge machine electric Rotofix	2
3	Water bath, electric	4
4	Glass ware, stains, chemical reagents for histopathology etc.	As required
5	Incubator	2
6	Haemocytometer with R.B.C and W.B.C pipettes	25
7	Haemoglobinometer Sahl's type	25
8	Autoclave	2
9	Anaerobic apparatus	2
10	Stopwatch ½ sec	2
11	pH meter	1
12	Microscopes with oil Immersion	25
13	High power Centrifuge for serological/Hematological work	1
14	E.S.R Westergreen/Wintrobe	2 sets each
15	Colony counter	1
16	Material for preparation of media	As required
17	Material for preparation of stain	-do-
18	Coplin Jars	02
19	Computer with accessories	01
20	Machine for estimation for blood sugar and for other serological tests	01

PATHOLOGICAL SPECIMENS

25

**Department of Community Medicine:**

1	Barometer (Fortein)	1
2	Lactometer	1
3	Hydrometer	1
4	Hydrometer wet and dry bulb	1
5	Filter Pasteum chamberland complete set	1
6	Museum having Models, charts and diagrams and other material concerning communicable diseases, diet, prophylactics, National Health programmes.	As required
7	immunization, community health, family welfare, Bio-statistics, Research Methodology, Sociology related information on display.	As required
8	Slow Sand filter model/Filter Berk Field	01
9	Smokeless Chullah model	01
10	Rapid Sand filter model	01
11	Ideal well model	01
12	Refrigerator	01

Arrangements shall be made for taking the students to Health Check-up Camps , to Water Purification Plant, Milk Pasteurization Plant and also to industries (to make them understand about the Industrial Health Hazards).

**Department of Forensic Medicine and Toxicology:**

Equipment/Weapons:

1	Weighing machine dial type human	1
2	Equipment for measuring height	1
3	Vernier calipers	1
4	Weapons (Blunt, Sharp & Pointed)	20

MODELS :

10

SPECIMENS (organic, inorganic, poisons and chemicals) 35

986 GI/13-11

**LIST OF ACTS and REGULATIONS :**

1. Homoeopathy Central Council Act, 1973.
2. Consumer Protection Act, 1986
3. Workmen's Compensation Act, 1923
4. Employees State Insurance Act, 1948.
5. Medical Termination of Pregnancy Act, 1971
6. Dangerous Drug Act.
7. Mental Health Act, 1987
8. Indian Evidence Act, 1872
9. Lunacy Act.
10. Borstal Schools Act.
11. The Prohibition of Child Marriage Act, 2006.
12. Public Health Act.
13. Injuries Act.
14. The Drugs and Magic Remedies (Objectionable Advertisements) Act, 1954.
15. Homoeopathic Practitioners (Professional Conduct, Etiquette and Code of Ethics) Regulations, 1982.

**Department of Homoeopathic Pharmacy:**

1	Pill tiles	25
2	Porcelain dishes	25
3	Crucibles with tongs	25
4	Pestles and mortars (Iron, Glass, Porcelain)	25
5	Water bath, metal/electric	25
6	Microscope (Student type)	05
7	Glass apparatus for filtration with vacuum	2
8	Thin layer chromatography apparatus	1
9	pH meter	2
10	Stop watch	25
11	Hydrometer	5
12	Alcoholometer	5
13	Lactometer	5
14	Electric potentiometer (for P.G. Course)	2
15	Electric Triturator (for P.G. Course)	2
16	Water Still (Distilled Water Plant)	1
17	Percolater	5
18	Macerator	5
19	Botanical slides	As required
20	Colorimeter (for P.G. Course)	01
21	Spectro Scope (for P.G. Course)	01
22	Dissecting Microscope	02
23	Distillation Apparatus (Glass)	1 set
24	Pyknometer (Specific Gravity Bottle)	02
25	Electronic Balance	01
26	Hot Air Oven	01
27	Chemical Balance	10
28	Physical Balance	01
29	Measuring glasses, all sizes	As required
30	Miscellaneous-Chemicals, drugs, glass phials, glass rods, Funnels, filter paper etc.	As required

**Note:** The department shall have all available Homoeopathic Pharmacopoeias (including Homoeopathic Pharmacopoeia of India). It shall also have all types of pharmaceutical vehicles

**DEPARTMENT OF ORGANON OF MEDICINE**

(a) Photograph of Founder and Philosophers in the field of Homoeopathy mentioning the Date of Birth/Death.

1.	Dr.Samuel Hahnemann
2.	Dr.J.T. Kent
3.	Dr.Constantine Hering
4.	Dr.Stuart Close
5.	Dr.Herbert A. Roberts
6.	Dr.J.H. Allen
7.	Dr.T.F. Allen
8.	Dr.H.C. Allen
9.	Dr.Richard Hughes

10.	Dr.C.V. Boenninghausen
11.	Dr.M.L. Tyler
12.	Dr.William Boericke
13.	Dr.C.M. Boger
14.	Dr.J.H. Clarke
15.	Dr.C. Dunham
16.	Dr.E.A. Farrington
17.	Dr.E.B. Nash
18.	Dr.R.E. Dudgeon
19.	Dr.Mahendra Lal Sirkar
20.	Babu Rajendra Lal Dutta

(b) Teaching material on Organon of Medicine and Homoeopathic Philosophy & Psychology.

#### **DEPARTMENT OF HOMOEOPATHIC MATERIA MEDICA**

25 numbers of charts which should be educative for knowing medicines in homoeopathic Materia Medica. A number of drugs though belonging to one botanical family are taught in different years of Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery. So, charts showing drugs under one family and their main spheres of action in two to three lines will be helpful for getting broader idea regarding the drugs. Similarly interesting charts on Ophidia groups, Spider family, Nosodes and Sarcodes and other creative charts as mentioned below may be available in the Materia Medica department in addition to other educative materials.

#### **Typical Picture-wise presentation of drugs (10 charts)**

#### **DEPARTMENT OF REPERTORY:**

1. The Department shall be equipped with 05 computers PC/XT models with accessories and five software packages consisting of different repertoires, especially Kent, Boenninghausen and Boricke.

Departmental Library – adequate number of different repertoires is to be kept for class demonstration and references.

15 charts on Repertory shall be provided.

Indoor Homoeopathic Hospital shall be well equipped having functional medical, surgical, gynaecological and obstetrics wards.

S. No.	Name of the articles	For 25 beds	From 26 to 50 beds	From 51 to 100 beds
1.	Iron beds (Simple, Surgical & Paediatrics)	25	50	100
2.	Stretcher with trolley	1 in each ward	1 in each ward	1 in each ward
3.	Sterilizers	02	02	02
4.	B.P. Instrument	05	08	10
5.	Urine pots, male and female	10	10	20
6.	Bed pans E.I.	10	10	20
7.	Tongue depressor (Disposable)	As required	As required	As required
8.	Suction Machine	01	01	02
9.	Suction tube	As required	As required	As required
10.	Artery forceps, small and big	06 each	12 each	18 each
11.	Back rest	02	04	06
12.	Oxygen cylinder with stand	1 in each ward	1 in each ward	1 in each ward
13.	Dressing drums (big)	02	03	04
14.	Diagnostic set (ENT)	1 in each ward	1 in each ward	1 in each ward
15.	Infra-red lamp	1	1	1

16.	Chair trolley with wheels	2	2	2
17.	Refrigerator	1	1	2
18.	Weighing Machine	2	4	6

**OPERATION THEATRE:-** A well equipped and functioning Operation theatre shall be provided for day to day working.

**Note:** Rehabilitation unit including Physiotherapy and Yoga facilities shall be provided as a separate unit in the hospital premises.

An Ambulance with all required facilities shall be provided as a part and parcel of hospital facilities

The Homoeopathic Teaching Hospital shall have well furnished separate dispensaries for its out-door and in-door departments containing sufficient stock of drugs. A first-Aid kit also be kept in Outdoor and Indoor departments/dispensaries. Such a Hospital shall have X-Ray, E.C.G., Screening and Sonography units, well equipped clinical laboratories.

#### SCHEDULE-IV

(See sub-regulation (7) of regulation 3, sub-regulation (1) and (2) of regulation 9, sub-regulation (1) of regulation 11 and proviso to regulation 12)

#### MINIMUM TEACHING STAFF FOR DEGREE COURSE

Name of the Department	Upto 60 Admission			From 61 to 100 admission		
	Professor	Associate Professor/Reader	Assistant Professor/Lecturer	Professor	Associate Professor/Reader	Assistant Professor/Lecturer
Anatomy	1 or	1	1	1 or	1	1
Physiology including Biochemistry	1 or	1	1	1 or	1	1
Organon of Medicine	1 or	1	1	1	1	1
Homoeopathic Pharmacy	1 or	1	1	1 or	1	1
Homoeopathic Materia Medica	1 or	1	1	1	1	1
Pathology & Microbiology	1 or	1	1	1 or	1	1
Forensic Medicine & Toxicology	1 or	1	1	1 or	1	1
Practice of Medicine*	1 or	1	1	1	1	1
Surgery	1 or	1	1	1 or	1	1
Obstetrician & Gynaecology	1 or	1	1	1 or	1	1
Community Medicine	1 or	1	1	1 or	1	1
Repertory*	1 or	1	1	1	1	1
TOTAL	24			28		

Only full-time faculty at all level.

- N.B: (1) There shall be 24 Full Time Teaching Faculty and 8 Guest Faculty for admission upto 60 admissions.
- (2) There shall be 28 Full Time Teaching Faculty and 12 Guest Faculty for admission from 61 to 100 admissions.

- (3) Guest Faculty- The Professor or Associate Professor or Reader not appointed on full time basis shall be deputed as guest Faculty for three hours a week.
- (4) Principal shall be one of the Professors of any department on full time basis and the Principal may be the Medical Superintendent, if there is no separate Medical Superintendent for such hospital.
- (5) The deficiency of teachers shall not exceed more than 10 percent of total requirement with availability of at least one teacher in each department for seeking conditional permission to undertake admission.

#### SCHEDULE- V

(See sub-regulation (1) of regulation 9 and sub-regulation (1) of regulation 11)

Name of Department	Professor or Associate Professor/ Reader	Assistant Professor/ Lecturer
Organon of Medicine with Homoeopathic Philosophy	1	1
Homoeopathic Materia Medica including applied aspects	1	1
Repertory	1	1
Homoeopathic Pharmacy	1	1
Practice of Medicine	1	1
Paediatrics	1	1
Psychiatry	1	1

Note- The Essential qualification for appointing the Lecturer for Post Graduate courses shall be as prescribed in Homoeopathy (Post Graduate Degree Course) Regulations, 1989.

#### SCHEDULE-VI

(See sub-regulation (4) of regulation 9 and sub-regulation (1) of regulation 11)

The following supportive staff shall be essential in each department stated below.

Anatomy -	Laboratory Attendant	-	1
Physiology including	Laboratory Technician	-	1
Biochemistry	Laboratory Attendant	-	1
Homoeopathic - Pharmacy	Laboratory Attendant	-	1
Pathology -	Laboratory Technician	-	1
and Microbiology	Lab Attendant		1
Library -	Full time qualified Librarian with Degree/Diploma in Library Sciences shall be appointed, who preferably has the knowledge of working on computers and internet.		
	Library Assistant	1 for every 50 admission.	

In addition to the above staff prescribed herein, the college shall provide adequate supportive staff in each of the faculty, laboratory, library, and museum. The watch and ward duty, transport and sanitation shall be provided by the college from outsourcing or by appointment as the case may be.

986 GI/13-12

**SCHEDULE-VII**

(See regulation 12)

**(A) QUALIFICATIONS FOR TEACHING STAFF OF HOMOEOPATHIC COLLEGE.****1. PRINCIPAL/DIRECTOR****A. ESSENTIAL QUALIFICATION:**

Post Graduate qualification in Homoeopathy and holding a post of not less than the teaching cadre of Professor in a Degree level Homoeopathic College for atleast two years.

The qualification shall be the one included in Second Schedule of Homoeopathy Central Council Act, 1973.

**B. DESIRABLE QUALIFICATION:**

Degree/ Diploma in administration/Health Administration from any recognized institution.

Experience as Supervisor/Guide for Post Graduate programme in Homoeopathy and original publication in research.

**2. PROFESSOR**

In subjects namely, Organon of Medicine, Homoeopathic Materia Medica, Homoeopathic Pharmacy, Repertory.

**A. ESSENTIAL QUALIFICATIONS:**

Post Graduate qualification in Homoeopathy with three years of teaching experience in the subject concerned as Associate Professor/Reader in a Homoeopathic college of degree level. The qualification shall be the one included in Second Schedule of Homoeopathy Central Council Act, 1973.

**B. DESIRABLE QUALIFICATIONS:**

1. Experience as Supervisor/Guide for Post Graduate programme in Homoeopathy and original publication in research.

2. Administrative experience in a Homoeopathic Medical college/ hospital.

3. Research experience in a research institution recognized by the concerned University and/or State Government or Central Government.

**3. PROFESSOR**

In subjects namely, Anatomy, Physiology, Pathology, Forensic Medicine and Toxicology, Surgery, Gynaecology and Obstetrics, Practice of Medicine and Community Medicine.

## (1) A. ESSENTIAL QUALIFICATION:

Post Graduate qualification in Homoeopathy with three years of teaching experience as Associate Professor/Reader in the concerned subject in a Homoeopathic College of degree level.

The qualification shall be the one included in Second Schedule of Homoeopathy Central Council Act, 1973.

## B. DESIRABLE QUALIFICATION:

- (a) Experience as Supervisor/Guide for Post Graduate programme in Homoeopathy and original publication in research.
- (b) Administrative experience in Homoeopathic Medical College/ Hospital.

**OR**

## (2) A. ESSENTIAL QUALIFICATIONS:

- (i) Post Graduate Medical Degree in the concerned subject recognized by the Medical Council of India.
- (ii) Three years teaching experience as Associate Professor/ Reader in the subject concerned in a degree level Homoeopathic College and/ or in a medical college permitted by the Central Government.

## B. DESIRABLE QUALIFICATION:

- (i) Original research papers publication.
- (ii) Research experience in a research institution recognized by the concerned University or State Government or Central Government.

**4. ASSOCIATE PROFESSOR/ READER IN HOMOEOPATHIC SUBJECTS: -**

In subjects namely, Organon of Medicine, Homoeopathic Materia Medica, Homoeopathic Pharmacy, Repertory.

## A. ESSENTIAL QUALIFICATIONS:

Post Graduate qualification in Homoeopathy with four years of teaching experience as Assistant professor/ Lecturer in the concerned subject in a Homoeopathic College of Degree level. The qualification shall be the one included in Second Schedule of Homoeopathy Central Council Act, 1973.

## B. DESIRABLE QUALIFICATIONS:

- (i) Experience as Supervisor/Co-supervisor or Guide/Co-Guide for Post Graduate Course in Homoeopathy.
- (ii) Research experience in a research institution recognized by the concerned University or State Government or Central Government.

**5. ASSOCIATE PROFESSOR/ READER IN ALLIED MEDICAL SUBJECTS**

In subjects namely, Anatomy, Physiology, Pathology, Forensic Medicine and Toxicology, Surgery, Gynaecology and Obstetrics, Practice of Medicine and Community Medicine.

(1) A. ESSENTIAL QUALIFICATIONS:

Post Graduate qualification in Homoeopathy with four years of teaching experience as Assistant professor/ Lecturer in the concerned subject in a Homoeopathic College of degree level. The qualification shall be the one included in Second Schedule of Homoeopathy Central Council Act, 1973.

B. DESIRABLE QUALIFICATIONS:

- (a) Experience as a Supervisor/Co-Supervisor or Guide/Co-Guide for Post Graduate Course in Homoeopathy.
- (b) Research experience in a research institution recognized by the concerned University or State Government or Central Government.

OR

(2) A. ESSENTIAL QUALIFICATIONS:

Post Graduate Medical Degree in concerned subject recognized by the Medical Council of India with four years teaching experience as Lecturer in the subject concerned in a degree level Medical Institution/ Homoeopathic College.

B. DESIRABLE QUALIFICATION:

- (a) Original research papers publication.
- (b) Research experience in a research institution recognized by the concerned University/State/Central Govt.

**6. ASSISTANT PROFESSOR/ LECTURER IN HOMOEOPATHIC SUBJECTS**  
In subjects namely, Organon of Medicine, Homoeopathic Materia Medica, Homoeopathic Pharmacy, Repertory.

A. ESSENTIAL QUALIFICATION

Post Graduate qualification in Homoeopathy preferably in the concerned subject. The qualification shall be the one included in Second Schedule of Homoeopathy Central Council Act, 1973. Preference shall be given to those candidates who holds experience of working as R.M.O. and/or House Physicians in a Homoeopathic Hospital attached to a Homoeopathic Medical College permitted by Central Council/Central Government.

Age: Not more than 40 years as on the last date of receipt of application for the post. Age is relaxable by 5 years maximum for exceptionally qualified persons with prior approval of the University concerned.

**7. ASSISTANT PROFESSOR / LECTURER:**

In subjects namely, Anatomy, Physiology, Pathology, Forensic Medicine and Toxicology, Surgery, Gynaecology and Obstetrics, Practice of Medicine and Community Medicine.



### A. ESSENTIAL QUALIFICATIONS

Post Graduate qualification in Homoeopathy. The qualification shall be the one included in Second Schedule of Homoeopathy Central Council Act, 1973. Preference shall be given to those candidates who holds experience of working as R.M.O. and/or House Physicians in a Homoeopathic Hospital attached to a Homoeopathic Medical College permitted by Central Council/Central Government.

**OR**

Post Graduate Medical Degree in concerned subject recognized by the Medical Council of India. Preference shall be given to those candidates who holds experience of working as R.M.O. and/or House Physicians in a Hospital attached to a Medical College permitted by Medical Council/Central Government.

Age: Not more than 40 years as on the last date of receipt of application for the post. Age is relaxable by 5 years maximum for exceptionally qualified persons with prior approval of the University concerned.

Provided that the teachers appointed on various cadres previously to this Notification in recognized Homoeopathic College shall be promoted as per the provisions of regulation under which they were appointed.

#### **(B) Qualification for Homoeopathic Collegiate Hospital Staff :-**

##### **(1) Medical Superintendent :-**

##### **Essential Qualification**

(a) A Post Graduate Degree qualification in Homoeopathy included in Second Schedule of Homoeopathy Central Council Act, 1973.

(b) Having atleast 16 years professional standing including two years Experience as Senior Medical Officer in a Homoeopathic Hospital/Homoeopathic Collegiate Hospital.

##### **Desirable Qualification**

Having Qualification in Hospital Administration from Govt. recognised institution.

(N.B.:- The Principal shall be the Medical Superintendent of Homoeopathic Collegiate Hospital. However if under any exceptional circumstances the charge of the post of Medical Superintendent is not given to the Principal than a person fulfilling above prescribed qualifications can be appointed on said post.)

##### **(2) Senior Medical Officer :-**

##### **Essential Qualification**

(a) A recognized Degree in Homoeopathy, included in the Second Schedule of Homoeopathy Central Council Act, 1973.

(b) 5 years experience as a Medical Officer in a Homoeopathic Collegiate Hospital / Homoeopathic Hospital.

986 GI/13-13

**(3) Residential Medical Officer :-****Essential Qualification**

A recognized degree qualification in Homoeopathy, included in the Second Schedule of Homoeopathy Central Council Act, 1973.

**Desirable :-**

Having one year experience as House Physician in a recognised Homoeopathic hospital after obtaining regular registration from a State Board of Homoeopathy.

(N.B.:- He/She shall be treated on duty round the clock and be provided with rent free residential accommodation with in the premises of the hospital.)

**(4) Medical Officer :-****Essential Qualification**

A recognized Degree in Homoeopathy, included in the Second Schedule of Homoeopathy Central Council Act, 1973.

**Desirable :-**

Having one year experience as a House Physician in a recognised Homoeopathic Hospital.

**(5) House Physician (Tenure Post of One Year) :-****Essential Qualification**

Holding a degree in Homoeopathy, included in Second Schedule of Homoeopathy Central Council Act, 1973 and having regular registration from a State Board of Homoeopathy.

Provided that the post of house physician (resident) in permitted post graduate center shall not be ~~re~~ <sup>re</sup>quately required as PG student in the First Year of M.D. (Hom) Courses shall ~~be~~ <sup>be</sup>ing house job compulsorily.

Age: Not more 35 years on the last date of receipt of application for the post.

**(6) Lab. Technician :-**

Having Diploma in M.L.T. from a recognized University / Institutions.

**(7) Registration Clerk :-**

- (a) Matriculation from a recognised Secondary Board.
- (b) Knowledge of regional language and English.

**(8) Nurses :-****Essential Qualification**

Matriculation from a recognised Secondary Board and three years experience of working in a reputed hospital.

**Preferential Qualification**

Having one year experience of working a Homoeopathic Dispensary or Hospital.

**(9) Ward Boy / Aya :-**

Matriculation from a recognised Secondary Board.

**(10) Dispenser / Pharmacist :-**

Passed 10<sup>th</sup> Standard from a recognised Secondary Board with two years experience of dispensing Homoeopathic Medicine in a Homoeopathic dispensary.

**(11) Dresser :-**

Matriculation with one year experience either as a dispenser or dresser.

**(12) Chowkidar /Peon :-**

8<sup>th</sup> Standard Pass.

Dr. LALIT VERMA, Registrar-cum-Secy.

[ADVT. III/4/Exty./147/12]

\*If any discrepancy is found between Hindi and English version of the namely, "the Homoeopathy Central Council (Minimum Standards Requirement of Homoeopathic Colleges and attached Hospitals) Regulations 2013", the English version will be treated as final.